उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार–249404

Website:psc.uk.gov.in

विज्ञापन संख्या: A-1/E-1/DR(ICC/ASO)/2023-24

अन्वेषक कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकीय अधिकारी परीक्षा–2023

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	::	07 फरवरी, 2024
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	::	28 फरवरी, 2024 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
परीक्षा शुल्क– Net Banking/Debit Card/ Credit Card द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि	::	28 फरवरी, 2024 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन/परिवर्तन करने की तिथि	::	07 मार्च, 2024 से 16 मार्च, 2024 (रात्रि 11.59. 59 बजे) तक

अति महत्वपूर्ण निर्देश :–

01.	अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्याः 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण एवं शैक्षिक अर्हता विषयक प्रमाणपत्र, ऑनलाइन आवदेन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित होने चाहिए।
02.	अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् **दिनांक 28 फरवरी, 2024** तक विज्ञापन मे वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date) वह मानी जायेगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवदेन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Detail) के विवरण में (Result Declaration Date) के कॉलम में संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन हो। विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी।
03.	अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही–सही भरें। अपूर्ण आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। **अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें।**
04.	फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/आरक्षण सम्बन्धी आदि) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (DEBAR) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है।
05.	**ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की निर्धारित अंतिम तिथि/समय के पूर्व तक आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (Cancel) कर प्रश्नगत पद हेतु पुनः आवेदन कर**

	सकता है, किन्तु इस दशा में जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा अर्थात् अभ्यर्थी को संशोधित/नवीन ऑनलाइन आवेदन पत्र के सापेक्ष पुनः आवेदन शुल्क जमा करना होगा।
06.	ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा की गयी प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन **(Edit/Correction)** किये जाने हेतु केवल एक बार पुनः लिंक खोला जायेगा। अभ्यर्थीगण आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें, ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों के अंतर्गत अभ्यर्थियों के नाम/जन्मतिथि/श्रेणी/उपश्रेणी/लिंग आदि में संशोधन हेतु अंतिम तिथि के उपरांत मात्र एक बार अवसर प्रदान किया जायेगा। विज्ञापन के बिन्दु संख्या–12 (संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया) में उल्लिखित प्राविधानानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन/परिवर्तन **(Edit/Correction)**किया जायेगा। अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि भविष्य में किसी भी असुविधा से बचने के लिए उक्त संशोधन/परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि/दावे को संशोधित/परिवर्तित करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।
07.	अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र/जनपद के चयन हेतु **परिशिष्ट–01,** परीक्षा योजना के लिए **परिशिष्ट–02**, पाठ्यक्रम के लिए **परिशिष्ट–03,** आरक्षण सम्बन्धी दावों के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु **परिशिष्ट–04 (क, ख, ग, घ, ड़),** न्यूनतम अर्हक अंक हेतु **परिशिष्ट–05,** अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन–पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु अभ्यर्थी के अभिलेखों के साथ संलग्न की जाने वाली चेक–लिस्ट हेतु **परिशिष्ट–06।** 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु **परिशिष्ट–07,** तथा 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु **परिशिष्ट–08।**
08.	**i-** आवेदन के प्रारम्भिक चरण में ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति अथवा किसी भी प्रकार का प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में जमा/प्रेषित नहीं किया जाना है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। **ii.** प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित परीक्षा योजना/पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित (मुख्य) परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) एवं कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान परीक्षा (अर्हकारी प्रकृति) एवं टंकण परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। **iii.** आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन–पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण–पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। **iv.** विज्ञापन में उल्लिखित शर्तानुसार यदि ऑनलाईन आवेदन–पत्र में अभ्यर्थी के दावे तथा प्रमाण–पत्रों में भिन्नता अथवा कमी पायी जाती है, तो अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा। **v.** लिखित (मुख्य) परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में अर्ह अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन पत्र में किए गए दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा–शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन, **उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली–2022 के भाग–नौ तथा ऑनलाईन आवेदन–पत्र एवं अभिलेखों की सन्निरीक्षा हेतु मार्गदर्शिका–2022** में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग

	की वेबसाईट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा। **vi. अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनायें ई–मेल या एस0एम0एस0 के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। इसलिए अभ्यर्थी स्वयं का मोबाईल नम्बर व ई–मेल आई0 डी0 ही आवेदन पत्र में भरें।**
09.	प्रश्नगत लिखित (मुख्य) परीक्षा हेतु न्यूनतम अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के **परिशिष्ट–04** पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को उनकी दावित आरक्षण श्रेणी/उप–श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही मेरिट (MERIT) के आधार पर प्रवीणता–सूची हेतु विचारित किया जायेगा।
10.	प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा के विभिन्न चरणों हेतु अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र व परीक्षा तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाईट psc.uk.gov.in तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित की जायेगी।
11.	लिखित परीक्षा (मुख्य) (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में अर्ह अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा–शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन किया जायेगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावे से सम्बन्धित अभिलेखों शैक्षणिक, आरक्षण आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12.	प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे, अपितु ऑनलाईन प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाईट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाईट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति, राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाईट psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।
13.	उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 32/XXXVI(3)/2023/04(01)/2023 दिनांक 11 फरवरी, 2023 के क्रम में कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–4 के पत्रांक– 16/XXX(4)/2023-03(27)/2022 दिनांक 13 फरवरी, 2023 द्वारा **उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश–2023** प्रख्यापित किया गया है। किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश–2023 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।
14.	**आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति (EWS) प्रमाण–पत्र वित्तीय वर्ष–2022–23 की आय की गणना के आधार पर जारी होना चाहिये तथा आवेदन करने की अन्तिम तिथि के पश्चात जारी नहीं होना चाहिए।** **इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रमाण–पत्र वित्तीय वर्ष– 2023–24 हेतु मान्य हो ।**
15.	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में सफल घोषित अभ्यर्थियों से ही पदों हेतु वरीयता (Preference) ऑनलाइन ली जाएगी। पदवार वरीयता (Preference) हेतु लिंक खोलने के सम्बन्ध में सूचना दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों को पृथक से सूचित किया जाएगा। वरीयता प्रपत्र (Preference Sheet) की प्रिंटआउट प्रति अन्य शैक्षिक अभिलेखों के साथ आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर विहित समय सीमा के अन्दर आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पदवार ऑनलाइन वरीयता (OnlinePreference) भरने के पश्चात् इसमें किसी प्रकार का संशोधन संबंधी अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
16.	शासनादेश संख्या 232/XXX(2)/2018-30(05)-2014, दिनांक 26.09.2018 के अनुक्रम में निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांगजन अभ्यर्थी भी अनारक्षित पद के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं, भले ही उनके लिए कोई रिक्ति आरक्षित हो या न हो। बशर्ते की पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिह्नित किया गया हो, उक्त श्रेणी के निःशक्तता से ग्रस्त ऐसे अभ्यर्थी को योग्यता के सामान्य मानकों द्वारा ऐसे पदों पर नियुक्ति हेतु चुने जाने के लिए विचार किया जाएगा, परन्तु

	दिव्यांगजन को सरकारी सेवा में प्रवेश के समय दिव्यांगता की श्रेणी से भिन्न सामान्य स्वास्थ्य उपयुक्ता का प्रमाणपत्र नियमानुसार नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
17.	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में एक या अधिक पद का चयन किया जा सकता है। उक्त चयनित पद के सापेक्ष अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के आधार पर एक वैकल्पिक विषय का चयन भी किया जायेगा। तदनुसार चयनित वैकल्पिक विषय की परीक्षा के आधार पर मेरिट/वरीयता के अनुसार चयन हेतु विचारित किया जाएगा।
18.	लिखित परीक्षा (मुख्य) (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन माह जून, 2024 में किया जाना प्रस्तावित है।

विभिन्न विभागों में समूह 'ग' के अन्तर्गत **अन्वेषक कम संगणक/सहायक सांख्यिकी अधिकारी** के रिक्त कुल **223 पदों** पर सीधी भर्ती (परीक्षा माध्यम) द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। लिखित (मुख्य) परीक्षा/प्रयोगात्मक परीक्षा (कम्प्यूटर के आधारभूत ज्ञान की परीक्षा एवं टंकण परीक्षा) के संबंध में परीक्षा की तिथि की सूचना यथा समय पृथक से आयोग की वेबसाइट तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

02. रिक्तियों का विवरण :– विभिन्न विभागों में अन्वेषक कम संगणक/सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा–2023 के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या **223** है। रिक्तियों की यह संख्या बढ़ायी या घटायी जा सकती है। यह भी सूच्य है कि अन्य विभागों के समान पद एवं समान शैक्षिक अर्हता के पदों का भविष्य में समावेश भी किया जा सकता है। रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है–

क्र. स.	पद का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	महिला	स्व0सं0 सेनानी आश्रित	निःशक्त (दिव्यांग)	पूर्व सैनिक	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (अर्थ एवं संख्या विभाग)	अनारक्षित	67	20	02	05 (PB -02,PD-02,OL/OA-01)	06	**03**
		अन्य पिछड़ा वर्ग	17	05				01
		अनु0 जनजाति	05	01				—
		अनुसूचित जाति	24	07				**01**
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	12	04				01
		योग	**125**	**37**	**02**	**05**	**06**	**06**

नोटः–*उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या– 48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017, दिनांक–05.06.2023 के अनुसार उक्त पद दिव्यांगता की उप श्रेणी LC, DW, AAV/AV LV/PB, D, HH/PD, OA, OL, BL, TH एवं HP हेतु चिन्हांकित हैं। उक्त दिव्यांगजन उप श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं। तद्क्रम में उक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उप श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।*

क्र. स.	पद का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	महिला	स्व0सं0 सेनानी आश्रित	निःशक्त (दिव्यांग)	पूर्व सैनिक	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग)	अनारक्षित	12	03	—	01 (एल0वी0 / पी0बी0)	01	01
		अन्य पिछड़ा वर्ग	03	01				—
		अनु0 जनजाति	01	—				—
		अनुसूचित जाति	04	01				—
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	02	—				—
		योग	**22**	**05**	**00**	**01**	**01**	**01**

नोटः—*उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या– 48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017, दिनांक–05.06.2023 के अनुसार उक्त पद दिव्यांगता की उपश्रेणी LC, DW, AAV/AV, LV/PB, D, HH/PD, OA, OL, BL, TH एवं HP हेतु चिन्हांकित हैं। उक्त दिव्यांगजन उपश्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं। तद्क्रम में उक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उप श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।*

क्र. स.	पद का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	महिला	स्व0सं0 सेनानी आश्रित	निःशक्त (दिव्यांग)	पूर्व सैनिक	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–2 (कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग)	अनारक्षित	24	07	01	01	02	01
		अन्य पिछड़ा वर्ग	04	01				—
		अनु0 जनजाति	—	—				—
		अनुसूचित जाति	08	02				—
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	02	01				—
		योग	**38**	**11**	**01**	**01**	**02**	**01**

नोटः—*उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या– 48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017, दिनांक–05.06.2023 के अनुसार उक्त पद दिव्यांगता की उपश्रेणी LC, DW, AAV/AV, LV/PB, D, HH/PD, OA, OL, BL, हेतु चिन्हांकित हैं। उक्त दिव्यांगजन उपश्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं। तद्क्रम में उक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उप श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।*

क्र. स.	पद का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	महिला	स्व0सं0 सेनानी आश्रित	निःशक्त (दिव्यांग)	पूर्व सैनिक	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी (डेरी विकास विभाग)	अनारक्षित	01	—	—	—	—	—
		अन्य पिछड़ा वर्ग	—	—				—
		अनु0 जनजाति	—	—				—
		अनुसूचित जाति	—	—				—
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	—	—				—
		योग	**01**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

नोटः— *उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या– 48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017, दिनांक–05.06.2023 के अनुसार उक्त पद दिव्यांगता की उपश्रेणी LC, DW, AAV/AV LV/PB, D, HH/PD, OA, OL, BL, TH एवं HP हेतु चिन्हांकित हैं। उक्त दिव्यांगजन उपश्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं। तद्क्रम में उक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उप श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।*

क्र. स.	पद का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	महिला	स्व0सं0 सेनानी आश्रित	निःशक्त (दिव्यांग)	पूर्व सैनिक	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी (उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग)	अनारक्षित	08	02	—	—	—	—
		अन्य पिछड़ा वर्ग	02	01				—
		अनु0 जनजाति	—	—				—
		अनुसूचित जाति	02	01				—
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	01	—				—
		योग	**13**	**04**	**00**	**00**	**00**	**00**

नोटः— *उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या– 48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017, दिनांक–05.06.2023 के अनुसार उक्त पद दिव्यांगता की उपश्रेणी LC, DW, AAV/AV, LV/PB, D, HH/PD, OA, OL, BL, TH एवं HP हेतु चिन्हांकित हैं। उक्त दिव्यांगजन उपश्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं। तद्क्रम में उक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उप श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।*

क्र. स.	पद का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	महिला	स्व0सं0 सेनानी आश्रित	निःशक्त (दिव्यांग)	पूर्व सैनिक	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06.	अन्वेषक कम संगणक (सहकारी समितियां)	अनारक्षित	02	—	—	—	—	—
		अन्य पिछड़ा वर्ग	—	—				—
		अनु0 जनजाति	—	—				—
		अनुसूचित जाति	01	—				—
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	—	—				—
		योग	**03**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

नोटः— *उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या– 48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017, दिनांक–05.06.2023 के अनुसार उक्त पद दिव्यांगता की उपश्रेणी* OA, OL, LV/PB, HH/PD, LC, DW *एवं* AAV/AV *हेतु चिन्हांकित हैं। उक्त दिव्यांगजन उपश्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं। तद्क्रम में उक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उप श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।*

क्र. स.	पद का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	महिला	स्व0सं0 सेनानी आश्रित	निःशक्त (दिव्यांग)	पूर्व सैनिक	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07.	अन्वेषक कम संगणक (उच्च शिक्षा)	अनारक्षित	01	—	—	—	—	—
		अन्य पिछड़ा वर्ग	—	—				—
		अनु0 जनजाति	—	—				—
		अनुसूचित जाति	01	—				—
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	—	—				—
		योग	**02**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या– 48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017, दिनांक–05.06.2023 के अनुसार उक्त पद दिव्यांगता की उपश्रेणी OA, OL, BL, HH/PD, LV/PB, LC *एवं* MW *हेतु चिन्हांकित हैं। उक्त दिव्यांगजन उपश्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं। तद्क्रम में उक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उप श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।*

क्र. स.	पद का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	महिला	स्व0सं0 सेनानी आश्रित	निःशक्त (दिव्यांग)	पूर्व सैनिक	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08.	सांख्यकीय सहायक (महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)	अनारक्षित	07	01	—	—	—	—
		अन्य पिछड़ा वर्ग	01	—				—
		अनु0 जनजाति	—	—				—
		अनुसूचित जाति	02	—				—
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	01	—				—
		योग	11	01	00	00	00	00

उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या– 48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017, दिनांक–05.06.2023 के अनुसार उक्त पद दिव्यांगता की उपश्रेणी, HH/PD, D, LV/PB, LC, DW, AAV/AV हेतु चिन्हांकित हैं। उक्त दिव्यांगजन उपश्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं। तद्क्रम में उक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उप श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

क्र. स.	पद का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	महिला	स्व0सं0 सेनानी आश्रित	निःशक्त (दिव्यांग)	पूर्व सैनिक	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09.	अन्वेषक / संगणक (महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)	अनारक्षित	05	—	—	—	—	—
		अन्य पिछड़ा वर्ग	01	—				—
		अनु0 जनजाति	—	—				—
		अनुसूचित जाति	02	—				—
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	—				—
		योग	08	00	00	00	00	00

उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या– 48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017, दिनांक–05.06.2023 के अनुसार उक्त पद दिव्यांगता की उपश्रेणी, HH/PD, D, LV/PB, LC, DW, AAV/AV हेतु चिन्हांकित हैं। उक्त दिव्यांगजन उपश्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं। तद्क्रम में उक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उप श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

पदनाम–सहायक सांख्यिकी अधिकारी (अर्थ एवं संख्या विभाग)

1.	पदनाम	सहायक सांख्यिकी अधिकारी / सहायक शोध अधिकारी
2.	कुल पदों की संख्या	125
3.	वेतनमान	रू0 35,400–1,12,400 (लेवल–6)
4.	पद का स्वरूप एवं पेंशन योजना	स्थायी, अराजपत्रित (समूह–ग), अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित।
5.	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता	**(क)** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित / औद्योगिक गणित / व्यवहारिक गणित / सांख्यिकी / गणितीय सांख्यिकी / व्यवहारिक सांख्यिकी / अर्थशास्त्र / व्यावहारिक अर्थशास्त्र / व्यावसायिक अर्थशास्त्र / अर्थमिती / वाणिज्य / डाटा विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि और देवनागरी लिपि में हिन्दी लेखन का अच्छा ज्ञान। **(ख)** कम्प्यूटर में ''ओ'' लेवल का डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान / कम्प्यूटर अनुप्रयोग में कम से कम 01 वर्ष का डिप्लोमा।
6.	अधिमानी अर्हता	अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने:– **(एक)** प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या **(दो)** राष्ट्रीय कैडिट कोर का ''बी'' अथवा ''सी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो या **(ग)** भारतीय सांख्यिकी संस्थान (इन्डियन स्टेटिस्टिकल इन्स्टीट्यूट) से सांख्यिकी में प्रमाण–पत्र भाग–1 या उसके समकक्ष कोई अन्य डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र (सर्टिफिकेट) धारक हो।
7.	आयु सीमा	न्यूनतम आयु सीमा–21 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा–42 वर्ष।

पदनाम–सहायक सांख्यिकी अधिकारी (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग)

1.	पदनाम	सहायक सांख्यिकी अधिकारी
2.	कुल पदों की संख्या	22
3.	वेतनमान	रू0 35,400–1,12,400, (लेवल–6)
4.	पद का स्वरूप एवं पेंशन योजना	स्थायी, अराजपत्रित (समूह–ग), अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित।
5.	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता	**(एक)** विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित / एप्लाइड गणित / सांख्यिकी / गणितीय सांख्यिकीय / अर्थशास्त्र / कॉमर्स में स्नात्कोत्तर उपाधि। **(दो)** सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर में ''सी0सी0सी0'' प्रमाणपत्र अथवा ''ओ लेवल'' प्रमाण–पत्र।

6.	**अधिमानी अर्हता**	अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:– **(एक)** प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या **(दो)** राष्ट्रीय कैडिट कोर का ''बी'' या ''सी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।
7.	**आयु सीमा**	न्यूनतम आयु सीमा–21 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा–42 वर्ष।

पदनाम– सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–2 (कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग)

1.	**पदनाम**	सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–2
2.	**कुल पदों की संख्या**	38
3.	**वेतनमान**	रू0 35,400–1,12,400 (लेवल–6)
4.	**पद का स्वरूप एवं पेंशन योजना**	स्थायी, अराजपत्रित (समूह–ग), अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित।
5.	**अनिवार्य शैक्षिक अर्हता**	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से गणित/सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी/अर्थशास्त्र/वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ कम्प्यूटर में ''ओ'' लेवल डिप्लोमा।
6.	**अधिमानी अर्हता**	अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:– **(एक)** प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो; या **(दो)** राष्ट्रीय कैडिट कोर का ''बी'' अथवा "सी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।
7.	**आयु सीमा**	न्यूनतम आयु सीमा–21 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा–42 वर्ष।

पदनाम– सहायक सांख्यिकी अधिकारी (डेरी विकास विभाग)

1.	**पदनाम**	सहायक सांख्यिकी अधिकारी
2.	**कुल पदों की संख्या**	01
3.	**वेतनमान**	रू0 35,400–1,12,400, (लेवल–6)
4.	**पद का स्वरूप एवं पेंशन योजना**	स्थायी, अराजपत्रित (समूह–ग), अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित।
5.	**अनिवार्य शैक्षिक अर्हता**	गणित/सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी/ अर्थशास्त्र /कॉमर्स में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ कम्प्यूटर में 'ओ' लेवल का डिप्लोमा।

6.	**अधिमानी अर्हता**	अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:– **(एक)** प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या **(दो)** राष्ट्रीय कैडिट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।
7.	**आयु सीमा**	न्यूनतम आयु सीमा–21 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा–42 वर्ष।

पदनाम– सहायक सांख्यिकी अधिकारी (उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग)

1.	**पदनाम**	सहायक सांख्यिकी अधिकारी (सांख्यिकी एवं नियोजन शाखा वर्ग–2)
2.	**कुल पदों की संख्या**	13
3.	**वेतनमान**	रू0 29,200–92,300, (लेवल–5)
4.	**पद का स्वरूप एवं पेंशन योजना**	स्थायी, अराजपत्रित (समूह–ग), अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित।
5.	**अनिवार्य शैक्षिक अर्हता**	सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकीय सहित बी0ए0/बी0एस0सी0।
6.	**अधिमानी अर्हता**	**(क)** प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या **(ख)** राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो। **(ग)** सांख्यिकी के साथ एम0ए0/एम0एस0सी0 या समकक्ष अर्हता या औद्योनिक फसलों आकड़ों का संकलन और विश्लेषण का अनुभव
7.	**आयु सीमा**	न्यूनतम आयु सीमा–21 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा–42 वर्ष।

पदनाम– अन्वेषक कम संगणक (उच्च शिक्षा विभाग)

1.	**पदनाम**	अन्वेषक कम संगणक
2.	**कुल पदों की संख्या**	02
3.	**वेतनमान**	रू0 29,200–92,300, (लेवल–5)
4.	**पद का स्वरूप एवं पेंशन योजना**	स्थायी, अराजपत्रित (समूह–ग), अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित।
5.	**अनिवार्य शैक्षिक अर्हता**	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी विषय के साथ स्नातक उपाधि तथा कम्प्यूटर में D.O.E.A.C. का ओ0 लेवल या किसी प्रतिष्ठित एवं मान्यता प्राप्त संस्थान का समकक्ष प्रमाणपत्र/डिप्लोमा, जिसमें कम्प्यूटर पर 4000 K.D.P.H की गति होना अनिवार्य है। **नोट– "कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण परीक्षा में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा (4000 Key Depression Per Hour) की गति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही टंकण परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किये जायेंगे।"**

6.	**अधिमानी अर्हता**	अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:– **(एक)** प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो; या **(दो)** राष्ट्रीय कैडिट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।
7.	**आयु सीमा**	न्यूनतम आयु सीमा–21 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा–42 वर्ष।

पदनाम– अन्वेषक कम संगणक (सहकारी समितियां)

1.	**पदनाम**	अन्वेषक कम संगणक
2.	**कुल पदों की संख्या**	03
3.	**वेतनमान**	रू0 29,200–92,300, (लेवल–5)
4.	**पद का स्वरूप एवं पेंशन योजना**	स्थायी, अराजपत्रित (समूह–ग), अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित।
5.	**अनिवार्य शैक्षिक अर्हता**	बी0एस0सी0 (सांख्यिकीय/गणित) तथा कम्प्यूटर संचालन का प्राथमिक ज्ञान।
6.	**अधिमानी अर्हता**	ऐसे अभ्यर्थी को जिसने– (एक) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो। (दो) राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो, (तीन) ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जो एम0कॉम0, अर्थशास्त्र में एम0ए0 हो, जिसके एक प्रश्नपत्र सहकारिता का रहा हो, एम0एस0सी0(कृषि), एम0एस0सी0 हो जसके पास बी0एन0 मेहता, इंस्टीट्यूट ऑफ को–ऑपरेटिव मेनेजमेन्ट, पूना से सहकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हो।
7.	**आयु सीमा**	न्यूनतम आयु सीमा–21 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा–42 वर्ष।

पदनाम– <u>सांख्यकीय सहायक (महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)</u>

1.	**पदनाम**	सांख्यकीय सहायक
2.	**कुल पदों की संख्या**	11
3.	**वेतनमान**	रू0 35400–112400 (लेवल–6)
4.	**पद का स्वरूप एवं पेंशन योजना**	अस्थायी, अराजपत्रित (समूह–ग), अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित।
5.	**अनिवार्य शैक्षिक अर्हता**	गणित या साख्यिकीय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो तथा वे कम्प्यूटर के संचालन की पूर्ण जानकारी (एम. एस. वर्ड, एम. एस. एक्सेल, एम. एस. पॉवर–पॉइन्ट, इन्टरनेट आदि) रखते हो

6.	**अधिमानी अर्हता**	अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामलें में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा– 1. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' श्रेणी का प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो।''
7.	**आयु सीमा**	न्यूनतम आयु सीमा–21 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा–42 वर्ष।

पदनाम– <u>अन्वेषक/संगणक (महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)</u>

1.	**पदनाम**	अन्वेषक/संगणक
2.	**कुल पदों की संख्या**	08
3.	**वेतनमान**	रू0 25500–81100 (लेवल–4)
4.	**पद का स्वरूप एवं पेंशन योजना**	अस्थायी, अराजपत्रित (समूह–ग), अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित।
5.	**अनिवार्य शैक्षिक अर्हता**	गणित या साख्यिकीय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो तथा वे कम्प्यूटर के संचालन की पूर्ण जानकारी (एम. एस. वर्ड, एम. एस. एक्सेल, एम. एस. पॉवर–पॉइन्ट, इन्टरनेट आदि) रखते हो
6.	**अधिमानी अर्हता**	अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामलें में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा– 1. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' श्रेणी का प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो।''
7.	**आयु सीमा**	न्यूनतम आयु सीमा–21 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा–42 वर्ष।

03. आयु :– (i) आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की विनिश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2024 है अर्थात् 01 जुलाई, 2024 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष से कम तथा अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई 1982 के पूर्व तथा 01 जुलाई, 2003 के पश्चात् का नहीं होना चाहिए।

(ii) उक्त पदों में से कतिपय पदों हेतु उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 41/उ0अ0से0च0आ0/2021, दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा उपरोक्त पदों में से तद्समय प्रकाशित पदों हेतु आवेदन किया गया था, उन अभ्यर्थियों हेतु आयु गणना की निश्चायक तिथि उक्त विज्ञापन के अनुसार 01 जुलाई, 2021 है। उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 191 दिनांक 26.07.2021 के द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के पदों पर चयन वर्ष 2021–22 में अधिकतम आयुसीमा में 01 वर्ष की छूट प्रदान की गयी है। इस प्रकार आयु गणना की निश्चायक तिथि 01.07.2021 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 43 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जिस हेतु अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन ऑवेदन पत्र में पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य है।

<u>नोट</u>– उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित **41/उ0अ0से0च0आ0/2021, दिनांक 28 दिसम्बर, 2021** के क्रम में अधिकतम आयु सीमा के अन्तर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों

को वर्तमान विज्ञापन के सापेक्ष आयु सीमा में छूट का लाभ तभी अनुमन्य किया जायेगा, जब अभ्यर्थी द्वारा वर्तमान विज्ञापन के निर्धारित कॉलम में उक्त विज्ञापन का रजिस्ट्रेशन संख्या का उल्लेख किया गया हो। अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख सत्यापन के समय पूर्व **41/उ0अ0से0च0आ0/2021, दिनांक 28 दिसम्बर, 2021** के क्रम में किये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी को वर्तमान विज्ञापन के सापेक्ष अधिकतम आयु सीमा के अन्तर्गत छूट का लाभ अनुमन्य नहीं किया जायेगा।

04. आयु सीमा में छूट संबंधी प्राविधान–

(i) अधिकतम् आयु सीमा में छूट :– विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उपश्रेणी के अनुसार छूट अनुमन्य होगी। उत्तराखण्ड **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग** हेतु शासनादेश संख्या : 1399/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

(ii) उत्तराखण्ड के **स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित** अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या : 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के **दिव्यांगजन** अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या : 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

(iii) अधिसूचना संख्या–6/1/72 कार्मिक–2, दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के **पूर्व सैनिकों** को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद/सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा कि वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है। शासनादेश सं0–406/XXX(2)2021-55(41)/2004, दिनांक 18 जनवरी, 2021 में यह उल्लिखित है कि शासनादेश सं0–124/XXX(2)2020-35(1)2001, दिनांक 22 मई, 2020 द्वारा पूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत हैं। भारत सरकार के O.M. No. 36034/6/90-Estt. (SCT) दिनांक 02 अप्रैल, 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि "The ex-servicemen candidates who have already secured employment under the State Govt. in Groups C & D will be permitted the benefit of age relaxation as prescribed for ex-servicemen for securing another employment in a higher grade or cadre in Group C/D under the State Govt. However, such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for ex-servicemen in State Govt. jobs."

05. अन्य अनिवार्य/वांछनीय अर्हता :– (i) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता संशोधन नियमावली, 2019 के नियम–4 के उपनियम (2) के अनुसार उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने

अपनी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो,

परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाऐं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हो स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह ''ग'' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे',

परन्तु यह और कि राज्य के स्थायी निवासी जो अजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी **समूह ''ग''** के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

(ii) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ''ग'' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 के नियम–4 के अनुसार उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह ''ग'' के पद पर सीधी भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक अवश्य पंजीकृत हो।

परन्तु शासन के पत्रांक– 1097/XXX(2)/2011, दिनाँक 08 अगस्त, 2011 के अनुसार ''जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित है, किन्तु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। ''उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या– 310/XXX(2)/2015, दिनाँक 28.07.2015 के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत केवल उत्तराखण्ड राज्य की सेवाऐं सम्मिलित हैं।''

ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं से इतर अन्य सेवाओं में कार्यरत् हैं, अपने विभाग से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। उपरोक्त अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाइन आवेदन–पत्र में किये गये दावों के क्रम में जिनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है, को इस शर्त के साथ औपबन्धिक रुप से अर्ह किया जायेगा कि वह इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे कि उनके द्वारा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया है तथा इसकी सूचना सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय को दे दी गयी है। इस प्रकार उक्त दोनों आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस अभ्यर्थी को अर्ह माना जायेगा।

(iii) शासन के पत्रांक– 809/XXX(2)/2010-3(1)/2010, दिनाँक 14 अगस्त, 2012 के अनुसार ''जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जायेगा।''

नोट– अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु अनिवार्य/वांछनीय अर्हता के प्रस्तर–i, ii, iii मे उल्लिखित शर्तो के अंतर्गत किसी भी एक शर्त को पूरा करना आवश्यक है, जो अभ्यर्थी पर लागू हो।

06. राष्ट्रीयता :– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिससे भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश कीनिया, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) तथा (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पत्र में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जाएगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी :– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उससे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जायें।

07. चरित्र :– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सकें। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी:– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन/नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

08. वैवाहिक प्रास्थिति:– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो,

परन्तु, सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका वह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

09. शारीरिक स्वस्थता:– किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हों। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय 3 में दिये गये फण्डामेंटल रूल 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

10. आरक्षण:– उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उर्ध्वाधर आरक्षण तथा उत्तराखण्ड महिला, पूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी एवं उत्तराखण्ड प्रभावित/अनाथ बच्चों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा। ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण, शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही

अनुमन्य होगा। आरक्षण संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाईट psc.uk.gov.in देखें। ऑनलाईन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज श्रेणी/उपश्रेणी की सूचना प्रदान करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

(i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उत्तराखण्ड प्रभावित/अनाथ बच्चों, पूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित (डी0एफ0एफ0) तथा महिला श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(ii) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(iii) **अधिसूचना संख्या–64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019, दिनांक 07.03.2019 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु के लिए आरक्षण) अधिनियम 2019** में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राज्याधीन लोक सेवाओं और सीधी भर्ती के पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र जिस वर्ष हेतु निर्गत किया जाये, उस वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष की आय के आधार पर जारी होना चाहिए। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित व मान्य होना चाहिये।

(iv) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में विज्ञापन के **"परिशिष्ट–4"** में मुद्रित निर्धारित प्रारुप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाईन आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ साक्षात्कार से पूर्व निर्धारित तिथि तक आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारुप का उल्लेख **"परिशिष्ट–4"** में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारुप पर जारी किया गया हो, प्रस्तुत करना होगा। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।

(v) दिव्यांगजन आरक्षण के लाभ हेतु दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम **40 प्रतिशत** की दिव्यांगता होना अनिवार्य है। दिव्यांगता की जिस श्रेणी/उपश्रेणी हेतु पद आरक्षित हैं, उसी दिव्यांगता की श्रेणी/उपश्रेणी हेतु आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

(vi) पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ शासनादेश संख्या–133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009, दिनांक 16.03.2009 के अनुसार सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्यकर्मियों को ही अनुमन्य होगा। शासनादेश संख्या–124/XXX(2)/2020-53(01)/2001, दिनांक 22.05.2020 के प्रस्तर–8 के अनुसार पूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संदर्भ में भारत सरकार के ***O.M. No. 36034/27/84-Estt. (SCT) dated 02.05.1985, it was decided that once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in Government would ceases*** का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक के क्षैतिज आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र (Affidavit) अपने अन्य अभिलेखों के साथ आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

(vii) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को क्षैतिज आरक्षण का लाभ शासन द्वारा निर्गत अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर दिया जायेगा।

(viii) शासनादेश संख्या–310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को अवश्य वैध होना चाहिये।

(ix) अधिसूचना संख्याः–179/XXX(2)/2021-30(2)/2019, दिनांक 31 अगस्त, 2021 द्वारा उत्तराखण्ड प्रभावित/अनाथ बच्चों को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।

(x) शासनादेश संख्याः 374(1)XXX(2)/2019–30(5)/2014, दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(s) से आच्छादित किन्तु अधिनियम की धारा 2(r) से अवमुक्त अर्थात 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें लिखने में कठिनाई है को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्वांत **परिशिष्ट–8** के साथ संलग्न है।

(xi) उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 09/XXXVI(3)/2023/72(1)/2022 दिनांक 10 जनवरी, 2023 के क्रम में **उत्तराखण्ड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम–2022 के प्रस्तर–3(1) व (2) के अनुसार उत्तराखण्ड अधिवासित महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य किया जायेगा।**

आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए अभ्यर्थी को जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11. <u>ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया</u> <u>(Procedure to apply online)</u> :–

1. अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** या **ukpsc.net.in** पर जायें।
2. विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात **ukpsc.net.in** पर जाकर **Menubar** में **How to Apply** लिंक पर क्लिक करें। **How to Apply** पेज पर **Advertisement Details, Important Dates** एवं **Instructions for filling up online application form** का अवलोकन करने के पश्चात **Apply Now** बटन पर क्लिक करें।

3- **Apply Now** पर क्लिक करने के पश्चात् खुले **Registration** फॉर्म पर **वॉछित,** अपनी सही जानकरी भरकर **Login** हेतु **Password** बनाकर **Submit** पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी **Basic Information** प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें। यदि भरी हुई जानकारी सही है तो **I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same** पर **Tick** कर **Submit** पर क्लिक करें, अन्यथा **No, I want to change some details** पर **Tick** कर **Edit** पर क्लिक करें एवं संशोधित **detail** भरने के पश्चात् पुनः **Registration** फार्म **Submit** करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।

4. **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर **Primary Registration** पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं **Registered Mobile Number** एवं **Email** पर **Message** प्राप्त होगा। तत्पश्चात् स्क्रीन पर **Click here to login** के बटन पर क्लिक करें।
5. **Login** करने के पश्चात **Educational Details** पेज प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी धारित शैक्षिक अर्हता के आधार पर एक या एक से अधिक पदों का चुनाव कर सकता है। तत्पश्चात् पद के सापेक्ष प्रदर्शित वैकल्पिक विषय (द्वितीय प्रश्न–पत्र हेतु) का चयन करें। अभ्यर्थी अपने शैक्षिक विवरण के अनुसार **High School** का विवरण भर कर **Add Education Details** पर क्लिक करें, भरा गया विवरण **Add Education Detail** के नीचे ग्रिड में प्रदर्शित होगा। गलत **Educational** विवरण भरने की स्थिति में ग्रिड में **Edit/Delete** के **Icon** पर क्लिक कर **Edit** अथवा **Delete** किया जा सकता है। इसी प्रकार **Intermediate, Graduate** व अन्य शैक्षिक अर्हताएं भरें। फॉर्म पर अन्य विवरण भर कर **Continue** पर क्लिक करें। उसके पश्चात **Photo & Signature to Upload** टैब पर **Photo, Signature** को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। **Photo, Signature** को **reupload** करने के लिए **I want to upload photo and signature Checkbox** पर क्लिक कर पुन **Photo, Signature** अपलोड किये जा सकते हैं।
6. **Photo, Signature** अपलोड होने के पश्चात **"I hereby declare that the photograph & signature are correct and accurate representation of myself" declaration** पर **Tick** कर **Continue** पर क्लिक करें। ततपश्चात् फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा। फार्म में भरे गये विवरण को सावधानी पूर्वक चेक कर लें। गलत भरे गये विवरण को **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फार्म पर पुनः वापस जाकर सही किया जा सकता है। वॉछित विवरण सही होने की स्थिति में घोषणा पर **Tick** करने के पश्चात् **Final Button** पर क्लिक कर, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें । **Print Application** बटन पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट प्राप्त कर लें।
7. **Final Submission के उपरान्त आवेदन–पत्र** में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द **(Cancel)** कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। आवेदन रद्द **(Application Cancel)** करने के लिए **Cancel My Application** बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात एक नई विण्डो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्ययन करने के पश्चात् घोषणा को **Tick** कर **Submit** बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु **Close** की जगह **Back** बटन पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात् अभ्यर्थी को पंजीकृत मोबाईल पर ओ0टी0पी0 **(OTP)** प्राप्त होगा, जिसको कि **Enter OTP** वाली फील्ड्स पर दर्ज कर **Cancel Application** बटन पर क्लिक करें। आवेदन रद्द **(Application Cancel)** करने के पश्चात् उस रद्द आवेदन **(Cancel Application)** के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोटः (1) **Final Submission** से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन–पत्र में त्रुटि होने की दशा में **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फार्म में वापस **(Back)** जाकर त्रुटि में संशोधन किया जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन करते समय आने वाली तकनीकी समस्या **(Technical Issue)** के समाधान हेतु अभ्यर्थी **ukpschelpline@gmail.com** पर ई–मेल कर सकते हैं।

(2) **Final Submission** के पश्चात् आवेदन–पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

(3) अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के पश्चात् **मोबाइल नम्बर Edit** नहीं किया जा सकता है।

12. संशोधन/परिवर्तन प्रक्रियाः–

ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन किये जाने हेतु दिशा–निर्देशः–

(i) ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात् 05 कार्यदिवस के उपरांत **Edit/Correction** का लिंक खोला जाएगा।

(ii) **Edit/Correction** हेतु उक्त लिंक की समयावधि 10 दिन होगी।

(iii) जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है, केवल वह अभ्यर्थी ही अपने ई–मेल आई0डी0 एवं पासवर्ड से लॉग–इन कर पायेंगे।

(iv) लॉग–इन करने के पश्चात् अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डाटा में **(मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 को छोड़कर)** आवश्यकतानुसार संशोधन कर पायेंगे।

(v) अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन पत्र में **Edit/Correction** की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात् ही आवेदन पत्र में डाटा Update हो सकेगा।

(vi) **Edit/Correction** की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् Edited Data ही अंतिम माना जायेगा।

(vii) अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी/उपश्रेणी में परिवर्तन किये जाने पर अभ्यर्थियों को परिवर्तित श्रेणी/उपश्रेणी का शुल्क विज्ञापन की शर्तो के अनुसार देय होगा, किन्तु अगर अभ्यर्थी केवल ऐसी उपश्रेणी (डी0एफ0एफ0/उ0म0 इत्यादि) में बदलाव करता है जिससे शुल्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उस उपश्रेणी में बदलाव का कोई शुल्क देय नही होगा। अभ्यर्थी को अन्य प्रविष्टियों में परिवर्तन/त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।

13. शुल्क :– प्रश्नगत् परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI के माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य है :–

क्र0सं0 (S. No.)	श्रेणी (Category)	आवेदन– शुल्क (Application Fees)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fees with Tax)	कुल शुल्क (Total Fees)
01.	अनारक्षित	रू0 150	रू0 22.30	रू0 172.30
02.	उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रू0 150	रू0 22.30	रू0 172.30
03.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	रू0 150	रू0 22.30	रू0 172.30
04.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति	रू0 60	रू0 22.30	रू0 82.30
05.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति	रू0 60	रू0 22.30	रू0 82.30
06.	उत्तराखण्ड प्रभावित/अनाथ बच्चे	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	–
07.	उत्तराखण्ड शारीरिक दिव्यांग (चिन्हित श्रेणी के दिव्यांग)	कोई शुल्क नहीं	रू0 22.30	रू0 22.30

नोट :– उत्तराखण्ड राज्य के पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं उत्तराखण्ड महिला अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, **यथा**–अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का हो, उसे उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

14. <u>अभ्यर्थियों के लिए चयन प्रक्रिया से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देश</u> :–

(01) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया, पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों एवं समय–समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(02) अभ्यर्थियों हेतु Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013 एवं प्रथम संशोधन–2016 और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली, 2022 आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर उपलब्ध है।

(03) ऑनलाइन आवेदन–पत्र के साथ समस्त वांछित अभिलेख/प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में लिखित (मुख्य) परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के उपरांत प्राप्त किए जायेंगे। **आयोग में प्राप्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2022 के आलोक में सम्पन्न की जायेगी,** जो आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध है, जिसके महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् हैं:–

- **(i)** अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हता का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र/उपाधि प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।
- **(ii)** ऑनलाईन आवेदन में अधिमानी अर्हता का दावा करने पर परन्तु अधिमानी अर्हता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने की स्थिति में अधिमानी अर्हता का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
- **(iii)** आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक निर्धारित प्रारूप पर न होने/वैध न होने/भारत सरकार की सेवाओं हेतु जारी होने परंतु उत्तराखण्ड राज्य की सेवा में लागू न होने/ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात् का जारी होने के कारण स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में क्षैतिज आरक्षण का दावा किया गया है किन्तु आरक्षण सम्बन्धी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है अथवा क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धी प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने/वैध न होने/ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात का जारी होने के कारण स्वीकार्य नहीं किये जायेगे तथा ऐसे अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।
- **(iv)** अभ्यर्थी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने की स्थिति में आवेदन को अपूर्ण मानते हुए अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। **<u>अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आवेदन–पत्र/प्रमाण–पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान ऑनलाईन आवेदन पत्र में अर्हता के सम्बन्ध में किये गये दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।</u>** अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाईट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त हेतु सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं आयोग की वेबसाईट पर प्रसारित की जायेगी।

(04) विज्ञापित पदों हेतु लिखित (मुख्य) परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति (Objective Type with Multiple Choice) के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र की 02 घण्टे समयावधि की सामान्य हिन्दी एवं सांख्यिकी विश्लेषण की तकनीकें विषय की परीक्षा होगी, जिसके लिए अधिकतम 100 अंक निर्धारित हैं। द्वितीय प्रश्नपत्र हेतु अभ्यर्थी द्वारा धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार एवं चयनित पद के सापेक्ष **वैकल्पिक विषय** 1–गणित/औद्योगिक गणित/व्यावहारिक गणित। 2–सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी/व्यावहारिक सांख्यिकी। 3–अर्थशास्त्र/व्यावहारिक अर्थशास्त्र/ व्यावसायिक अर्थशास्त्र/अर्थमिति। 4–वाणिज्य। 5–डाटा विज्ञान का चयन ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया जाना अनिवार्य है। प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी। लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) की तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(05) अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति प्रमुख दैनिक समाचार–पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।

(06) यदि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने से लेकर प्रवेशपत्र डाउनलोड होने तक कोई तकनीकी समस्या आती है तो वह इन समस्याओं के निवारण हेतु आयोग की ई–मेल ukpschelpline@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।

(07) लिखित (मुख्य) परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में अर्ह अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा–शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली–2022 के भाग–नौ में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार **अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया जायेगा।** अभिलेख सत्यापन के दौरान यदि अभ्यर्थी की अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(08) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाणपत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर सेवा नियोजक द्वारा निर्गत 'अनापत्ति प्रमाण–पत्र' अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत करना होगा।

(09) गलत उत्तरों के लिए दण्ड– वस्तुनिष्ठ प्रश्न–पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड स्वरूप (ऋणात्मक मूल्यांकन) किया जायेगा।

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प (उत्तर) हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए संबंधित प्रश्न हेतु निर्धारित अंकों का एक चौथाई दण्ड रुप में काटा जायेगा।

(ख) किसी भी प्रश्न का यदि अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक उत्तर दिया जाता है, भले ही उनमें से कोई उत्तर सही क्यों न होतो इसे गलत उत्तर माना जायेगा तथा इस हेतु दण्ड स्वरूप संबंधित प्रश्न का एक चौथाई अंक काटा जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(10) लिखित (मुख्य) परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के प्रश्न पत्र से सम्बन्धित उत्तर कुंजी का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त् आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तरकुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व संबंधित उत्तर के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त् प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रति–प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क रू0 50.00 का भुगतान करना होगा, जिसे किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रति–प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तो वैसे अभ्यर्थी द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण संबंधित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त् विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।

(11) लिखित (मुख्य) परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है।

(12) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस, किसी भी प्रकार की घड़ी (डिजिटल एवं एनालॉग आदि) अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि अभ्यर्थी इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस, किसी भी प्रकार की घड़ी अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें।

(13) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित– कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा। **ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश–2023 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।**

(14) परीक्षा केन्द्र में आचरण– कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था न फैलायें तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान न करें, ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर पत्रक कक्ष निरीक्षक को सौंप कर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।

(15) अँगूठे का निशान (Thumb Impression)– सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में परीक्षा हेतु उन्हें उपलब्ध कराये गये उत्तर पत्रक के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (**पुरुष** अभ्यर्थी की दशा में **बायें अँगूठे** का निशान तथा **महिला** अभ्यर्थी की दशा में **दायें अँगूठे** का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

(16) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, वैसी दशा में ही आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(17) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं।

(18) विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। चयन के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम (औपबंधिक) होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश–पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारंम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(19) हाईस्कूल प्रमाण–पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाणपत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(20) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013 यथासंशोधित–2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

(21) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाहीः– अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोइ संशोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें अथवा जाली प्रलेख प्रस्तुत नहीं करें। यदि एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति पायी जाती है तो इस विसंगति के संबंध में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।

(22) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगाः–

1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात (क) गैरकानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से

ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कुटर चित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्नपत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बात लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाण पत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, अथवा 13. उपर्युक्त खंडो में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (ग) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (घ) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ड़) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्व उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (च) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (छ) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

(23) आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(24) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

(25) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन/विभाग का ऐसी जाँच करने के पश्चात्

जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से पात्र है।

(26) अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in का समय–समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

(27) लिखित (मुख्य) परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदो के परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जायेगी। आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर ही आवेदित जनपदो में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य जनपदो में भी परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र निर्धारण के उपरान्त परीक्षा केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी किसी भी प्रकार के अनुरोध/प्रत्यावेदन को स्वीकार्य नहीं किया जायेगा और न ही उस पर विचार किया जायेगा।

(28) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्तकर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(29) चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात् ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।

(30) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाणपत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्तकर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारुपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।

(31) परीक्षा में अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने होंगे। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या : 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014, दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुसार श्रुत लेखक की व्यवस्था अनुमन्य होगी।

(32) <u>न्यूनतम अर्हक अंकः–</u> अनारक्षित वर्ग, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार)/साक्षात्कार परीक्षा में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2022 (यथा संशोधित) द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जायेगा।

(33) अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की परीक्षा एवं जिन विभागों/पदों हेतु संगत सेवानियमावली में टंकण परीक्षा का प्रावधान है में अर्ह एवं लिखित (मुख्य) परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर, प्रश्नगत पद पर चयन हेतु अभ्यर्थी द्वारा दी गयी विभागवार/पदवार ऑनलाइन वरीयता के क्रम में अन्तिम रूप से चयनित किया जायेगा। परीक्षा

परिणाम आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रसारित किया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी जायेगी।

(34) प्रश्नगत परीक्षा में विभागवार/पदवार पदों का आवंटन प्रवीणता सूची, शैक्षिक अर्हता, आयु, सेवा नियमावली, श्रेणी–उपश्रेणीवार तथा अभ्यर्थी द्वारा दी गयी ऑनलाइन वरीयता के आधार पर किया जायेगा। **अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन प्रपत्र में दी गयी वरीयता में से वरीयतानुसार एक ही पद के सापेक्ष चयन किया जायेगा, अर्थात् किसी अभ्यर्थी के एक पद पर चयन होने के पश्चात् अन्य पदों हेतु उस अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जायेगा।**

(35) आयोग द्वारा प्रश्नगत पदों का चयन परिणाम, विज्ञापित पदों हेतु विहित संगत सेवा नियमावली के प्राविधानों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2022 (यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार तथा अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में पदों के सापेक्ष दी गयी वरीयता के आधार पर तैयार किया जायेगा।

(36) अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के सभी स्तम्भ स्पष्टतः पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए तथा किसी भी स्तम्भ को अपूर्ण या रिक्त न छोड़े। मूल ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्शाये गए विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(37) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण–पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की समस्त परीक्षाओं के लिए प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है और उसके विरूद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(38) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र, आयोग के साथ समस्त पत्राचार एवं परीक्षा से संबंधित सभी चरणों में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।

(39) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व नियमानुसार अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। यह कार्यवाही नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा पृथक से की जाएगी।

(40) अभ्यर्थी, मुख्य (लिखित) परीक्षा (वस्तुतिष्ठ प्रकार) एवं कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान परीक्षा एवं टंकण परीक्षा के दौरान, अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित आई0डी0 अपने साथ अवश्य रखें एवं मांगे जाने पर उन्हें उक्त आई0डी0 की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

-sd-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।

परिशिष्ट–1

अन्वेषक कम संगणक/सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा–2023 हेतु लिखित (मुख्य) परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन राज्य के 13 जिलों में कराया जाना प्रस्तावित है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन–पत्र के सम्बन्धित कॉलम में परीक्षा केन्द्र के लिए नगर के सम्बन्ध में अपना विकल्प प्रस्तुत करें। नगरों की सूची इस प्रकार है–

S.No.	District	City Code
1	अल्मोड़ा	01
2	चम्पावत	02
3	पिथौरागढ़	03
4	नैनीताल	04
5	उधमसिंह नगर	05
6	बागेश्वर	06
7	पौढ़ी गढ़वाल	07
8	चमोली	08
9	रूद्रप्रयाग	09
10	नई टिहरी	10
11	उत्तरकाशी	11
12	देहरादून	12
13	हरिद्वार	13

नोट 1:–आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार आवेदित नगरों में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य नगर भी आवंटित किये जा सकते है। केन्द्र निर्धारण के उपरान्त परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार के अनुरोध/प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

परिशिष्ट–02

विभिन्न विभागों में सहायक सांख्यिकी अधिकारी/सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–2 अन्वेषक–कम–संगणक/ अन्वेषक–सह–संगणक/सांख्यिकी सहायक/सांख्यिकी संगणक/अन्वेषक तथा संगणक पद हेतु परीक्षा योजना/पाठ्यक्रम

1. लिखित (मुख्य) परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

क्र.स.	प्रश्न–पत्र	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समयावधि
1	प्रथम प्रश्न–पत्र	सामान्य हिन्दी एवं सांख्यिकी विश्लेषण की तकनीकें	100	100	02 घण्टे
2	द्वितीय प्रश्न–पत्र	**वैकल्पिक विषयः:** 1–गणित/औद्योगिक गणित/व्यावहारिक गणित। 2–सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी/व्यावहारिक सांख्यिकी। 3–अर्थशास्त्र/व्यावहारिक अर्थशास्त्र/ व्यावसायिक अर्थशास्त्र/अर्थमिति। 4–वाणिज्य। 5–डाटा विज्ञान।	200	200	03 घण्टे
कुल अंक			**300**		

2. कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान परीक्षा :: कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान के लिए 100 अंकों की अर्हकारी प्रकृति (Qualifying nature) की परीक्षा ली जाएगी, जिसकी समयावधि 01 घण्टा की होगी। इस अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परन्तु उक्त परीक्षा में प्राप्त अंकों को चयन परिणाम में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

नोटः– 1. लिखित (मुख्य) परीक्षा के द्वितीय प्रश्न–पत्र के अन्तर्गत उल्लिखित वैकल्पिक विषयों में से धारित शैक्षित अर्हता के अनुसार किसी एक विषय का चयन किया जायेगा।

2. जिन विभागों/पदों हेतु संगत सेवानियमावली में टंकण परीक्षा का प्राविधान है, उन विभागों/पदों के लिए संगत सेवानियमावली में दी गई व्यवस्था के अनुसार टंकण गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

3. उक्त परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative marking) पद्धति अपनाई जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये गलत उत्तर के लिए या अभ्यर्थी द्वारा एक ही प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए (चाहे दिये गये उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो), उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का एक चौथाई अंक (1/4) दण्ड के रूप में काटा जायेगा।

परिशिष्ट–03

लिखित (मुख्य) परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का पाठ्यक्रम

प्रथम प्रश्न–पत्र

सामान्य हिन्दी एवं सांख्यिकी विश्लेषण की तकनीकें

प्रश्नों की संख्याः 100 **अधिकतम अंक 100** **समयावधि : 2 घण्टे**

सामान्य हिन्दी

प्रश्नों की संख्याः 50 **अधिकतम अंकः 50**

1. वर्ण विचार : स्वर एवं व्यंजन, वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का उच्चारण स्थान।
2. हिन्दी शब्द–समूह : तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़।
3. हिन्दी शब्द–रचना : उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास।
4. हिन्दी अर्थ–विधान : पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द।
5. वाक्यांश के लिए एक शब्द।
6. अशुद्धि शोधन : शब्दगत वर्तनी अशुद्धि शोधन, वाक्यगत अशुद्धिशोधन।
7. लोकोक्ति एवं मुहावरे।
8. विराम चिह्न।
9. व्याकरण विचार : संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, लिंग वचन, काल, अव्यय, एवं क्रिया–विशेषण।

सांख्यिकी विश्लेषण की तकनीकें

प्रश्नों की संख्याः 50 **अधिकतम अंकः 50**

सांख्यिकीः परिभाषा, कार्यक्षेत्र, फलन, सीमाएँ, अविश्वास और दुरुपयोग।

आंकड़ों का संग्रहः प्राथमिक आंकड़ें, द्वितीयक आंकड़ें, प्रतिचयन तकनीकों की प्रारंभिक धारणा, वर्गीकरण, सारणीकरण और बारंबारता–बंटन, आंकड़ों की प्रस्तुतिः आलेखी और आरेखी।

केंद्रीय प्रवृत्ति के मापः अंकगणितीय माध्य, ज्यामितीय माध्य, हरात्मक माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। चतुर्थक, दशमक और शतमक।

परिक्षेपण की मापः परास, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, मानक विचलन, विचरण गुणांक, आधूर्ण, वैषम्य, ककुदता और उनकी माप।

सूचकांकः अर्थ, महत्व, लास्पेयारे, पाशे, मार्शल और फिशर आदर्श सूचकांक। सूचकांक का निर्माण और उनकी गणना, निर्वाह व्यय सूचकांक। आधार का परिवर्तन, विभाजन सूचकांक, अपस्फीति सूचकांक।

सरल सहसंबंधः रैखिक और कोटि, सरल समाश्रयण विश्लेषण।

गणित के मौलिक सिद्धांतः प्रारंभिक समुच्चय सिद्धांत, संख्या प्रणाली, प्रारंभिक बीजगणित, निर्देशांक ज्यामितिय, सरल रेखाएं, दर, अनुपात, प्रतिशत एवं लघुगणक, क्रमचय एवं संचय।

प्रारंभिक प्रायिकता सिद्धांतः प्रायिकता की योज्य एवं गुणक प्रमेय, सप्रतिबंध प्रायिकता।

भारतीय सांख्यिकीः जनसंख्या, श्रम, धन एवं बैंकिंग, राष्ट्रीय आय, कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन, भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली, सी.एस.ओ., एन.एस.एस.ओ., अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय (डी.ई.एस.), उत्तराखंड सरकार, संरचना, कार्य।

Techniques of statistical analysis

No. of Questions : 50 **Marks : 50**

Statistics, Definition, Scope, Functions, Limitations, Distrust & Misuse.

Collection of Data: Primary Data, Secondary Data, Elementary Idea of Sampling Techniques, Classification. Tabulation & Frequency Distribution; Presentation of Data: Graphical and Diagrammatic.

Measures of Central tendency: Arithmetic Mean, Geometric Mean, Harmonic Mean, Median & Mode. Quartiles, Deciles and Percentiles.

Measures of Dispersions: Range, Quartile Deviation, Mean Deviation, Standard Deviation, Coefficient of Variation, Moments, Skewness, Kurtosis and their measures.

Index Number: Meaning, Importance, Laspeyare, Paasche's, Marshall and Fisher Ideal Index numbers. Construction of Index Numbers and their Calculation, Cost of living Index number. Change of Base, Splicing, Deflating.

Simple Correlation: Linear & Rank, Simple Regression Analysis.

Fundamentals of Mathematics: Elementary Set Theory; Number System, Elementary Algebra, Co-ordinate Geometry; Straight Lines; Rates Ratios, Percentage & Logarithms, Permutations and Combinations

Elementary Probability Theory, Additive and Multiplicative Theorems, of Probability Conditional Probability.

Indian Statistics: Population, Labour, Money & Banking, National Income, Agricultural Production, and Industrial Production, Indian Statistical Systems, C.S.O, N.S.S.O, Directorate of Economics & Statistics (D.E.S.), Govt. of Uttarakhand, Structure, Functions.

द्वितीय प्रश्न–पत्र

OPTIONAL SUBJECT

(**NOTE :**Choose / Select one subject and give answers on the following subjects.)

(01) MATHEMATICS/INDUSTRIAL MATHEMATICS/APPLIED MATHEMATICS

(Written Nature -Objective Type)

Time: 3 Hours **MM : 200**

1. ABSTRACT ALGEBRA:

(i) Theory of Equations: Existence of roots of the general equation. Descartes' rule of signs. Real and Complex roots of polynomial equations. Relations between the roots and coefficients of the equations. Symmetric functions of the roots and transformation of equations. Algebraic solution of cubic and biquadratic equations.

(ii) Groups and Rings: Sets, Relations, Equivalence relations. Groups, Order of group, Sub-groups, Centre of a group, Normalizer/Centralizer of an element and a subgroup, Cosets of a sub-group, Lagrange's theorem. Cyclic groups. Normal subgroups, Quotient groups. Homomorphisms and Isomorphisms of groups, Kernel of homomorphism, Fundamental theorems of group homomorphisms. Permutation groups, Cyclic notation, Symmetric and Alternating groups, Cayley's theorem. Rings, Characteristic of a ring, Sub-rings, Ideals and Algebra of ideals.

2. **LINEAR ALGEBRA**:

(i) Vector Spaces: Vector spaces and its examples, Subspaces, Linear and Direct sums, Quotient space, Linear span of a subset of a vector space. Linear dependence and independence of vectors and subsets of vector space. Basis and Dimension of a vector space/subspace, Linear and Direct sums, Examples of infinite dimensional spaces, Ordered bases and coordinates.

(ii) Linear transformations: Null spaces and Ranges, Rank and Nullity theorem, Invertibility and Isomorphisms of linear transformations, Algebra of linear transformations, Matrix representation of a linear transformation, Change of basis, Linear functional, Dual spaces, Canonical forms, Eigen values and vectors of linear operators, Eigen spaces, Minimal polynomial, Diagonalization of square matrices.

(iii) Inner Product Spaces: Inner products and norms, Orthogonal and Orthonormal vectors, Orthogonal complement of a set. Gram -Schmidt process for orthogonalization.

3. NUMERICAL ANALYSIS:

(i) Errors: Exact and Approximate numbers, Rounding-off of numbers, Significant and Correct digits. Various types of errors encountered in computations, Propagation of errors.

(ii) Solution of equations: Solution of linear simultaneous equations by LU-decomposition method, Gauss elimination method, Jacobi and Gauss- Seidel iterative methods. Roots of non-linear equations by Newton-Raphson and fixed-point iterative methods with their convergence criteria for one variable problems.

(iii) Interpolation: Finite difference operators, Newton's forward and backward Interpolation formulae, Bessel and Stirling's interpolation formulae. Lagrange formula for unequal intervals.

(iv) Numerical differentiation and Integration: First and Second order differentiation by various interpolation formulae. Trapezoidal, Simpson's $1/3^{rd}$ and $3/8^{th}$ rules with errors.

(v) Solution of ODE: Solution of first order ordinary differential equation by Picard's method, Euler and modified Euler method, Runge- Kutta fourth order method.

4. CALCULUS:

Limit, continuity and differentiability of a function of one variable. Maclaurin and Taylor's theorems. Maxima and Minima of a function. Limit, Continuity, Differentiability of functions of two variables, Partial differentiation. Euler's theorem for homogeneous functions. Jacobians, Taylor's theorem, Maxima and Minima of functions of two variables, Lagrange's multipliers method.

Rectification and Quadrature. Surface and Volume formed by revolution of plane curve. Beta and Gamma functions, Double and Triple integrals, Dirichlet integral. Differentiation under integral sign.

5. ANALYTICAL GEOMETRY:

Two-dimensional geometry of straight lines and conics referred to Cartesian and Polar coordinates systems. Three-dimensional geometry of Planes, Straight lines, Spheres, Cones, Cylinders

6. DIFFERENTIAL EQUATIONS:

Solution of ordinary differential equations of first order, Singular solution. Solution of ordinary linear differential equations of second order with constant coefficients. Euler-Cauchy equations. Solution of second order differential equation by Order reduction method, Change of dependent variable and independent variable methods and method of variation of parameters.

7. COMPLEX ANALYSIS:

Algebra of complex numbers, Limit, Continuity, Differentiability and Analyticity of a function of a complex variable. Cauchy- Riemann equations, Harmonic functions, Method

for finding the harmonic conjugate, Milne's method for analytic function. Power series, Radius of convergence, Uniform convergence. Cauchy's theorem and Cauchy integral formula. Taylor's and Laurent series. Zeros and Poles of a function. Residues at singular points. Cauchy- Residue Theorem, Contour integration of simple proper and improper integrals. Bilinear transformation with applications.

8. MECHANICS:

(i) Statics: Conditions of equilibrium for a system of forces in 3-dimensions. Virtual work. Centre of gravity of a system. Common Catenary.

(ii) Dynamics: Tangential and Normal, Radial and Transverse velocities and accelerations. Motion of a particle in a straight line, Simple harmonic motion and its applications. Central forces and Orbit, Constrained motion in circle and cycloid. Motion under resisting medium.

9. MATHEMATICAL ANALYSIS:

(i) Structure of point Sets: Open sets, Closed sets, Derived sets and Countable sets of real numbers.

(ii) Convergence of real sequences: Limit points of a sequence, Convergent sequences, Cauchy's general principle of convergence. Uniform convergence of the sequence of functions, M_n-test.

(iii) Infinite Series: Infinite Series with different tests of convergence. Uniform convergence of the series of functions. Weierstrass M-test.

(iv) Riemann Integral: Definition, Refinements of partitions, Riemann sums, Conditions of integrability, Some integrable functions. Fundamental theorems of calculus.

10. LINEAR PROGRAMMING PROBLEMS:

Convex sets and convex functions. Graphical solution of Linear Programming Problems. The simplex algorithm-method, Big-M and Two-phase methods, Degeneracy, Alternative optima, Unbounded and Infeasible solutions. Duality and Dual simplex method, Relationship between the primal and dual solutions. Transportation and Assignment problems.

(01) गणित/औद्योगिक गणित/अनुप्रयुक्त गणित
(लिखित प्रकृति–वस्तुनिष्ठ प्रकार)

समयः 3 घंटे **अधिकतम अंकः 200**

1. अमूर्त बीजगणितः

(i) समीकरणों का सिद्धांतः सामान्य समीकरण के मूलों का अस्तित्व। डेसकार्टेस के चिन्हों का नियम। बहुपद समीकरणों के वास्तविक और सम्मिश्र मूलें। समीकरणों के मूलों और गुणांकों के बीच संबंध। मूलों के सममित फलन और समीकरणों का रूपांतरण। त्रिघात और चतुर्घात समीकरणों का बीजीय हल।

(ii) समूह और वलयः समुच्चय, संबंध, तुल्यता संबंध। समूह, समूह की कोटि, उप–समूह, एक समूह का केंद्र, एक अवयव और एक उपसमूह का प्रसामान्यक/केन्द्रीयकर्ता, एक उप–समूह का सहसमुच्चय, लैग्राँज की प्रमेय। चक्रीय समूह, प्रसामान्यक उपसमूह, विभाग समूह। समूहों की समाकारिता और तुल्यकारिता। समाकारिता की अष्टि, समूह समाकारिता के मौलिक प्रमेय। क्रमचय समूह, चक्रीय संकेतन, सममित और वैकल्पिक समूह, केली की प्रमेय। वलय, वलय की विशेषता, उप–वलय, गुणजावली और गुणजावलियों का बीजगणित।

2. रैखिक बीजगणितः

(i) सदिश समष्टिः सदिश समष्टि और उसके उदाहरण, उपसमष्टि, रैखिक और अनुलोम योगफल, विभाग समष्टि, सदिश समष्टि के उपसमुच्चय का रैखिक विस्तार। सदिश समष्टि के सदिशों और उपसमुच्चयों की रैखिक आश्रितता और स्वतंत्रता। सदिश समष्टि/उपसमष्टि का आधारक और विमा, रैखिक और अनुलोम योगफल, अनंत विमीय समष्टि के उदाहरण, क्रमित आधारक और निर्देशांक।

(ii) रैखिक रूपांतरणः शून्य समष्टि और रेंज, रैंक और शून्यता प्रमेय, रैखिक रूपान्तरणों की व्युत्क्रमता और तुल्यकारिता, रैखिक रूपांन्तरणों का बीजगणित, एक रैखिक रूपान्तरण का आव्यूह निरूपण, आधारक का परिवर्तन, रैखिक फलनक, द्वेत समष्टि, विहित रूप, रैखिक संचालकों के अभिलक्षणिक मान तथा सदिश, अभिलक्षणिक समष्टि, अल्पिष्ठ बहुपद, वर्ग आव्यूहों का विकर्णीकरण।

(iii) आन्तर गुणन समष्टिः आन्तर गुणनफल और मानदंड, लांबिक और ऑर्थोनॉर्मल सदिश, एक समुच्चय का लांबिक पूरक। लाम्बिकीकरण के लिए ग्राम–श्मिट प्रक्रम।

3. संख्यात्मक विश्लेषणः

(i) त्रुटियाँः यथार्थ और अनुमानित संख्याएँ, संख्याओं का निकटन, सार्थक और सही अंक। गणना में होने वाली विभिन्न प्रकार की त्रुटियाँ, त्रुटियों का संचरण।

(ii) समीकरणों का हलः एलयू–अपघटन विधि, गॉस उन्मूलन विधि, जैकोबी और गॉस–सीडेल पुनरावृत्त विधियों द्वारा रैखिक युगपत समीकरणों का हल। न्यूटन–रेफसन तथा निश्चित–बिंदु पुनरावृत्ति विधियों द्वारा एक चर अरैखिक समीकरणों की मूलों और उनके अभिसरण मानदंड।

(iii) अंतर्वेशनः परिमित अंतर संचालक, न्यूटन के अग्र और पश्च अंतर्वेशन सूत्र, बेसेल और स्टर्लिंग के अंतर्वेशन सूत्र। असमान अंतरालों के लिए लैग्राँज सूत्र।

(iv) संख्यात्मक अवकलन और समाकलनः विभिन्न अंतर्वेशन सूत्रों द्वारा पहले और दूसरे कोटि का अवकलन। ट्रैपेज़ॉइडल, सिम्पसन के 1/3वें और 3/8वें नियम एवं उनकी त्रुटियाँ।

(v) ओडीई(ODE) का हलः पिकार्ड की विधि, ऑयलर और संशोधित आयलर विधि, रंजे–कुट्टा चौथे क्रम की विधि द्वारा प्रथम कोटि के साधारण अवकल समीकरण का हल।

4. कैलकुलसः

एक चर के फलन की सीमा, संततता और अवकलनता। मैकलॉरिन और टेलर के प्रमेय। किसी फलन की उच्चिष्ट और निम्निष्ट। दो चरो के फलनों की सीमा, संततता, अवकलनता, आंशिक अवकलन। सजातीय फलनों के लिए ऑयलर की प्रमेय। जैकोबियन, टेलर की प्रमेय। दो चरों के फलनों की उच्चिष्ट और निम्निष्ट, लैग्रॉंज की गुणक विधि।

चापकलन और क्षेत्रकलन। समतल वक्र की परिक्रमण से बनी पृष्ट और आयतन। बीटा और गामा फलन, डबल और ट्रिपल समाकलन, डिरिक्ले समाकल। समाकल चिन्ह के अंतर्गत अवकलन।

5. विश्लेषिक ज्यामितिः

कार्तीय और ध्रुवीय निर्देशांक प्रणालियों में सीधी रेखाओं और शांकवो की द्वि–विमीय ज्यामिति। समतलों, सीधी रेखाओं, गोले, शंकु, सिलेंडरों की त्रि–विमीय ज्यामिति।

6. अवकल समीकरणः

प्रथम कोटि के साधारण अवकल समीकरणों का हल, विचित्र हल। अचर गुणांकों के साथ दूसरे कोटि के साधारण रैखिक अवकल समीकरणों का हल। ऑयलर–कॉशी समीकरण। क्रम(कोटि) लघूकरण विधि द्वारा दूसरे कोटि के अवकल समीकरणों का हल, आश्रित चर तथा स्वतंत्र चर के परिवर्तन की विधियाँ तथा प्राचल विचरण विधि।

7. सम्मिश्र विश्लेषणः

सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित, एक सम्मिश्र चर के फलन की सीमा, संततता, अवकलनता और विश्लेष्यता। कॉशी–रीमॉन समीकरण, प्रसंवादी फलन, प्रसंवादी संयुग्म खोजने की विधि, विश्लेषणात्मक फलन के लिए मिल्ने की विधि। घात श्रेणी, अभिसरण की त्रिज्या, एकसमान अभिसरण। कॉशी प्रमेय और कॉशी समाकल सूत्र। टेलर और लॉरेंट श्रेणियाँ। किसी फलन के शून्य और ध्रुव। विचित्र बिंदुओं पर अवशेष। कॉशी–अवशेष प्रमेय, सरल उचित और अंनत समाकलनों का कन्टूर समाकलन। द्विरेखीय रूपान्तरण तथा उनके अनुप्रयोग।

8. यांत्रिकीः

(i) स्थिति विज्ञानः 3–विमाओं में बलों की एक निकाय के लिए संतुलन की शर्तें। आभासी कार्य। किसी निकाय का गुरुत्व केंद्र। साधारण कैटिनरी।

(ii) गतिकीः स्पर्शीय और अभिलंबीय, त्रिज्यीय और अनुप्रस्थ वेग और त्वरण। एक कण की सीधी रेखा में गति, सरल आवर्त गति और उसके अनुप्रयोग। केंद्रीय बल और कक्षा, वृत्त और चक्रज में प्रतिबंधित गति। प्रतिरोध माध्यम के अंतर्गत गति।

9. गणितीय विश्लेषण :

(i) बिंदु समुच्चय की संरचनाः वास्तविक संख्याओं के विवृत समुच्चय, संवृत समुच्चय, व्युत्पन्न समुच्चय और गणनीय समुच्चय।

(ii) वास्तविक अनुक्रमों का अभिसरणः अनुक्रम की सीमा बिंदु, अभिसरण अनुक्रम, कॉशी के अभिसरण का सामान्य सिद्धांत। फलनों के अनुक्रम का एकसमान अभिसरण, M_n - परीक्षण।

(iii) अनंत श्रेणीः अनंत श्रेणियों के अभिसरण हेतु विभिन्न परीक्षण। फलनों की श्रेणियों का एकसमान अभिसरण। वीयरस्ट्रॉस एम–टेस्ट।

(iv) रीमॉन समाकलः परिभाषा, विभाजनों का परिशोधन, रीमॉन योगफल, समाकलनता की शर्ते, कुछ समाकलनीय फलन। कैलकुलस की मौलिक प्रमेय।

10. रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याएंः

उत्तल समुच्चय और उत्तल फलन। रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं का आलेखीय हल। सिम्प्लेक्स एल्गोरिथम–विधि, बिग–एम और दो–चरण विधियाँ, डीजेनेरेसी, वैकल्पिक ऑप्टिमा, अपरिबद्ध और असंभाव्य हल। द्वैती और द्वैती सिंप्लेक्स विधि, आद्य और द्वैत हल के बीच संबंध। परिवहन और नियतन समस्याएं।

(02) STATISTICS/MATHEMATICAL STATISTICS / APPLIED STATISTICS

(Written Nature -Objective Type)

Time: 3 Hours **MM : 200**

Descriptive Statistics

Primary and secondary data, classification and presentation of data, diagrammatic and graphical representation of data; Frequency distribution, Measures of location and dispersion, skewness and kurtosis. Bivariate data. Karl Pearson Correlation and Rank correlation coefficient. Partial and multiple correlation. Principle of least squares and curve fitting. Linear regression. Fitting of regression lines, Regression coefficients and their properties.

Probability and Distribution Theory

Classical, statistical and axiomatic definitions of probability. Additive and Multiplicative laws of probability, Conditional probability, Bayes' theorem and its applications.

Random variable, discrete and continuous random variables; Probability density and Distribution functions and their properties. Joint and marginal distributions, conditional distributions, Distributions of functions of random variables. Mathematical expectation and conditional expectation. Additive and multiplicative theorems of expectation. Characteristic function and moment generating function,

Tchebycheff inequality. Weak and strong laws of large numbers and central limit theorem.
Standard probability distributions–Discrete Uniform, Bernoulli, Binomial, Poisson, Geometric, Negative binomial, Rectangular, Exponential, Normal, Beta, Gamma; Fitting of Binomial, Poisson and Normal distributions.

Inference Estimation:
Concept of estimation, Properties of good estimator; Estimation by methods of maximum likelihood and moments, Optimal properties of maximum likelihood estimators; Minimum variance unbiased estimators. Minimum variance bound; Cramer-Rao inequality. Sufficient estimator and Factorization theorem. Rao-Blackwell theorem. Interval estimation.
Null, Alternative, Simple and composite hypotheses. Two types of errors. Critical region. Power function. Most powerful and uniformly most powerful tests. Neyman-Pearson fundamental lemma. Unbiased and Randomized tests. Likelihood ratio test.
Non Parametric Tests: Advantages and disadvantages of non parametric tests, run test for randomness, one sample tests: sign test, Wilcoxon signed rank test, Kolmogarov-Smirnov's test, Median test and Mann-Whitney U-test.

Analysis of Variance and Design of Experiments
Analysis of variance for one way and two way classifications; Fixed, mixed and random effect models; Basic principles of experimental design-randomization, replication and local control; Analysis and layout of completely randomized design, randomized block design and Latin square design, Simple and factorial experiments 2^2 and 2^3 experiments.

Sampling Theory and Official Statistics
Concept of population and sample, Complete enumeration versus sampling; sampling and non-sampling errors, Types of sampling: Purposive and random sampling, simple random sampling with and without replacement, estimation of population mean, population proportions and their standard errors. Stratified random sampling, proportional and optimum allocation, comparison with simple random sampling; Systematic sampling
(Linear case only), Estimation of population mean and standard error of this estimate, comparison with simple random sampling.
Sampling with probability proportional to size (with and without replacement method), Concept of multistage sampling and its application, Introduction to Indian statistical system, national and state statistical systems and their activities, role of CSO & NSSO.

Applied statistics Quality Control:

Process control and product control: control limits, charts for attributes p chart, np chart, c-chart, charts for variables: $(\bar{X},R)$, $(\bar{X},\sigma)$ charts. Acceptance sampling plans for attributes inspection; single and double sampling plans and their properties.

Demography and Vital Statistics:

Complete life table and its main features, Uses of life table. Abridged life tables. Stable and stationary populations.

Measurement of Fertility: Crude birth rate, General fertility rate, Age specific birth rate, Total fertility rate, Gross reproduction rate and Net reproduction rate.

Measurement of Mortality: Crude death rate, Standardized death rates, Age-specific death rates, Infant Mortality rate and Death rate by cause.

Index Numbers:

Definition and Construction of Index Numbers, Problems faced in the construction of Index Numbers, Weighted and unweighted Index Numbers. Price relatives and quantity or volume relatives, Laspeyre's, Paasches', Marshal Edgeworth and Fisher index numbers; chain base index number, tests for index number, Construction of index numbers of wholesale and consumer prices.

Time Series Analysis:

Introduction to time series data and its applications in various fields; Economic time series, Components of a time series; Additive and multiplicative models, determination of trend, method of moving averages, seasonal and cyclical fluctuations, Estimation of seasonal component by method of simple averages.

Multivariate Analysis and Operations Research:

Multivariate Analysis

Random Vector, Bivariate, Trivariate and Multivariate data, Introduction to Multivariate normal distribution and its properties. Estimates of parameters of Multivariate normal distribution (without derivations).

Operations Research

Introduction to Operations Research, Types of OR problems, Linear Programming Problem (LPP), Mathematical formulation of LPP, Solution of LPP by Graphical and Simplex Methods. Transportation problem, Determination of Initial Basic Feasible Solution by North West Corner rule, Least Cost methods and Vogel Approximation method. Assignement problem and its solution. Hungarian method to find optimal solution. Game Theory: Two Person Zero Sum game, Minimax-Maximin Principle. Solution to Game Theory problems using Graphical method.

Networking; Shortest route and Minimal Spanning Tree problem, PERT and CPM: Inventory Management, Inventory System and its Characteristics, EOQ Model with and without shortages.

(2) सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी/अनुप्रयुक्त सांख्यिकी

(लिखित प्रकृति - वस्तुनिष्ठ प्रकार)

समय: 3 घंटे **अधिकतम अंक: 200**

वर्णनात्मक सांख्यिकी:

प्राथमिक और द्वितीयक आँकड़े, आंकड़ों का वर्गीकरण और प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का चित्रमय और आलेखीय निरूपण; आवृत्ति वितरण, स्थान निर्धारण और विक्षेपण की माप, विषमता और ककुदता। द्विचर आँकड़े, कार्ल पियर्सन सहसंबंध और श्रेणी सहसंबंध गुणांक। आंशिक और एकाधिक सहसंबंध। न्यूनतम वर्ग का सिद्धांत और वक्र आसंजन। रैखिक समाश्रयण। समाश्रयण रेखाओं की आसंजन, समाश्रयण गुणांक और उनके गुण।

संभाव्यता और वितरण सिद्धांत:

संभाव्यता की परम्परागत, सांख्यिकीय और अभिगृहीतीय परिभाषाएँ। संभाव्यता के योजक और गुणक नियम, सशर्त संभाव्यता, बेयस प्रमेय और इसके अनुप्रयोग।

यादृच्छिक चर, असंतत और सतत यादृच्छिक चर; संभाव्यता घनत्व और वितरण फलन और उनके गुण। संयुक्त और उपांत वितरण, सशर्त वितरण, यादृच्छिक चर के फलन का वितरण। गणितीय प्रत्याशा और सशर्त प्रत्याशा। प्रत्याशा के योजक और गुणक प्रमेय। अभिलाक्षणिक फलन और आघूर्णजनक फलन, चेबिचेव असमिका। महांक के दुर्बल और प्रबल नियम और केंद्रीय सीमा प्रमेय।

मानक संभाव्यता वितरण- असंतत एकरूप, बर्नौली, द्विपद, प्वासां, ज्यामितीय, ऋणात्मक द्विपद, आयताकार, घातीय, प्रसामान्य, बीटा, गामा; द्विपद, प्वासां और प्रसामान्य वितरण का आसंजन।

सांख्यिकीय अनुमिति

आकलन: आकलन की अवधारणा, अच्छे आकलक के गुण; अधिकतम संभाविता और आघूर्ण विधि से आकलन, अधिकतम संभावित आकलको के इष्टतम गुण; न्यूनतम प्रसरण वाले अनभिनत आकलक। न्यूनतम प्रसरण प्रविंध; क्रैमर-राव असमिका। पर्याप्त आकलक और गुणनखण्ड प्रमेय। राव-ब्लैकवेल प्रमेय। अंतराल आकलन।

परिकल्पना परीक्षण: शून्य, वैकल्पिक, सरल और संयुक्त परिकल्पनाएँ। दो प्रकार की त्रुटियां। क्रान्तिक क्षेत्र। पावर फलन। सबसे क्षमतावान और समान रूप से सबसे क्षमतावान परीक्षण। नेयमैन-पियर्सन की मौलिक प्रमेयिका। अनभिनत और यादृच्छिक परीक्षण। संभाविता अनुपात परीक्षण।

अप्राचलिक परीक्षण: अप्राचलिक परीक्षणों के गुण और अवगुण, यादृच्छिकता के लिए रन परीक्षण, एक प्रतिदर्श परीक्षण: चिहन परीक्षण, विल्कोक्सन चिह्न कोटि परीक्षण, कोल्मोगारोव-स्मिरनोव का परीक्षण, माध्यिका परीक्षण और मैन-व्हिटनी यू-परीक्षण।

प्रसरण और प्रयोगात्मक डिजाइन का विश्लेषण:

एकधा और द्विधा वर्गीकरण के लिए प्रसरण का विश्लेषण; निश्चित, मिश्रित और यादृच्छिक प्रभाव मॉडल; प्रयोगात्मक डिजाइन के बुनियादी सिद्धांत- यादृच्छिककरण, प्रतिकृति और स्थानीय नियंत्रण; पूरी तरह से यादृच्छिक डिजाइन, यादृच्छिक ब्लॉक डिजाइन और लैटिन वर्ग डिजाइन, सरल और तथ्यात्मक प्रयोगों का विश्लेषण और अभिन्यास, 2^2 और 2^3 प्रयोग।

प्रतिचयन सिद्धान्त और राजकीय आंकड़े:

जनसंख्या और प्रतिचयन की अवधारणा, पूर्ण गणना बनाम प्रतिचयन; प्रतिचयन और अप्रतिचयन त्रुटियां, प्रतिचयन के प्रकार: उद्देश्यपूर्ण और यादृच्छिक प्रतिचयन, प्रतिस्थापन के साथ और बिना सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, जनसंख्या माध्य का आकलन, जनसंख्या अनुपात और उनकी मानक त्रुटियां। स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन, आनुपातिक और इष्टतम नियतन, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन के साथ तुलना; व्यवस्थित प्रतिचयन (केवल रैखिक प्रकरण), जनसंख्या माध्य का नियतन और इस नियतन की मानक त्रुटि, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन के साथ तुलना।

आकार के समानुपाती संभाव्यता के साथ प्रतिचयन (प्रतिस्थापन विधि के साथ और बिना), बहुचरणी प्रतिचयन की अवधारणा और इसका अनुप्रयोग, भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली का परिचय, राष्ट्रीय और राज्य सांख्यिकीय प्रणाली और उनकी गतिविधियां, CSO और NSSO की भूमिका।

अनुप्रयुक्त सांख्यिकी

गुणता नियंत्रण:

प्रक्रिया नियंत्रण और उत्पाद नियंत्रण, नियंत्रण सीमाएं, विशेषताओं के लिए चार्ट, P चार्ट, np चार्ट, c-चार्ट; चर के लिए चार्ट:$(\bar{X},R)$, $(\bar{X},\sigma)$ चार्ट, विशेषताओं के निरीक्षण के लिए प्रतिचयन स्वीकरण आयोजन; एकल और द्विक प्रतिचयन योजनाएं और उनके गुण।

जनसांख्यिकी और जन्म-मृत्यु सांख्यिकी:

पूर्ण जीवन तालिका और इसकी मुख्य विशेषताएं, जीवन तालिका के उपयोग। संक्षिप्त जीवन तालिकाएँ। स्थायी और स्थिर आबादी।

प्रजनन क्षमता का माप: अशोधित जन्म दर, सामान्य प्रजनन दर, आयु विशिष्ट जन्म दर, कुल प्रजनन दर, सकल प्रजनन दर और नेट प्रजनन दर।

मृत्यु दर का माप: अशोधत मृत्यु दर, मानकीकृत मृत्यु दर, आयु-विशिष्ट मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और कारण से मृत्यु दर।

सूचकांक संख्याएं:

सूचकांक संख्याओं की परिभाषा और निर्माण, सूचकांक संख्याओं के निर्माण में आने वाली समस्याएं, भारित और अभारित सूचकांक संख्याएँ । मूल्य सापेक्ष और मात्रा या आयतन सापेक्ष, लास्पर्य, पाशेस, मार्शल एजवर्थ और फिशर सूचकांक संख्या; श्रृंखला आधार सूचकांक संख्या, सूचकांक संख्या के लिए परीक्षण, थोक और उपभोक्ता मूल्यों के सूचकांक संख्याओं का निर्माण।

कालश्रेणी विश्लेषण:

कालश्रेणी आकड़ों का परिचय और विभिन्न क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोग; आर्थिक कालश्रेणी, कालश्रेणी के घटक; योजक और गुणक मॉडल, प्रवृत्ति का निर्धारण, चलायमान औसत की विधि, मौसमी और चक्रीय उतार-चढ़ाव, सरल औसत की विधि द्वारा मौसमी घटक का आकलन।

बहुचर विश्लेषण और संक्रिया विज्ञान

बहुचर विश्लेषण:

यादृच्छिक सदिश, द्विचर, त्रिचर और बहुचर आकड़े, बहुचर प्रसामान्य वितरण और इसके गुणों का परिचय। बहुचर प्रसामान्य वितरण के प्राचलों का आकलन (व्युत्पत्ति के बिना)।

संक्रिया विज्ञान

संक्रिया विज्ञान का परिचय, OR समस्या के प्रकार, रैखिक प्रोगामन समस्या (LPP), LPP का गणितीय सूत्रीकरण, आलेखी और एकधा विधियों द्वारा LPP का समाधान। परिवहन समस्या, उत्तर पश्चिम कोने नियम द्वारा प्रारंभिक बुनियादी समाधान का निर्धारण, न्यूनतम लागत की विधियां और वोगेल सन्निकट विधि। नियतन समस्या और इसका समाधान। इष्टतम समाधान खोजने के लिए हंगेरियन विधि। खेल सिद्धांत: दो व्यक्ति शून्य योग खेल, अल्पमहिष्ठ–महाल्पिष्ठ सिद्धांत। आलेखी विधि का उपयोग कर खेल सिद्धांत समस्याओं का समाधान। नेटवर्किंग; लघुतम पथ और न्यूनतम विस्तरित पेड़ समस्या, PERT और CPM.: तालिका प्रबंधन, तालिका तंत्र और इसकी विशेषताएं, कमी के साथ या बिना कमी वाला EOQ मॉडल।

(3) ECONOMICS/APPLIED ECONOMICS/BUSINESS ECONOMICS/ ECONOMETRICS

(Written Nature -Objective Type)

Time: 3 Hours **MM : 200**

1. Micro Economics: Concept of Micro and Macro economics**;** Economic Static and Economic Dynamics; Nature of Economics: Normative and Positive; Consumer's Behaviour and Equilibrium, Meaning of Demand, Law of Demand and Utility Analysis; Indifference Curve Approach; MRS, Budget Line; Revealed Preference Approach**;** Elasticity of Demand: Types of Elasticity, Factors affecting Elasticity; Price Effect: Income Effect, Substitution Effect; Giffin Goods, Inferior goods; Consumer's Surplus**;** Production Function: Law of Variable Proportion and the Laws of Returns to Scale; Economies of Scale; Rate of Technical Substitution (RTS), Iso-quant, MRTS, Iso-cost Line, Cost and Revenue Function**;** Relationship between MR and Price; Deriving AR and MR from TR**;** Relationship between AC, MC and TC**;** Pricing under various forms of market: Perfect Competition, Monopoly, Monopolistic Competition, Duopoly, Oligopoly**;** Pricing of factors of production**;** Distribution theories: Rent, Wages, Interest, Profit; Paretian Welfare Economics.

2. Macro Economics: National Income: Meaning, Concepts, Measurement and Limitations; Circular Flow of National Income; Methods of National Income Accounting**;** National Income and Employment: Classical, Keynesian and Neo-Classical theories**;** Consumption Function - Propensity to Consume and Propensity to Save**;** Investment Function-Determinants, Marginal Efficiency of Capital and Theory of Multiplier**;** Trade Cycle: Kaldor and Hicks; Macro Theories of

Distribution: Classical and Kaldor; General Equilibrium Analysis; Philips Curve and Rational Expectations Theory.

3. Economic Growth and Development: Meaning; Difference between Growth and Development; Measurement of Development: Human Development Index (HDI), Gender Development Index (GDI), Gender Inequality Index (GII), Multi-Dimensional Poverty Index (MPI); Happiness Index; Growth Models: Harrod and Domar, Rostow; Unlimited Supply of Labour; Input-Output Analysis; Globalisation and LDCs; Sustainable Development Goals; Goals of COP26.

4. Money, Banking and Public Finance: Meaning, Concepts and Functions of Money; Measures of Money Supply; Theories of Money: Fisher, Cambridge, Keynesian, Milton Friedman; Functions of Central Bank; Credit Control; Meaning and Functions of Commercial Banks; Credit Creation; Inflation- Types, Causes, Effects and Controls; Demand for Money and Liquidity Preference Theory; Monetary Policy: Meaning and Objectives.

Public Finance: Public Expenditure: Theories, Classification and Effects; Taxation: Principles of Taxation, Classification of Taxes, Incidence, Impact and Shifting of Taxes, Theories of Tax Shifting, Taxable Capacity; Theory of Maximum Social Advantage, Sources of Public Revenue; Public Debt- Sources, Effects, Burden and its Management. Fiscal Policy: Meaning and Objectives.

5. Demography: Theory of Demographic Transition; Malthusian Theory; Fertility: Concepts, Measurement and Factors; Mortality; Population Pyramid; Demographic Dividend; Population Growth rate; Sources of Demographic data; Population and Economic Development: Migration and Urbanization.

6. International Economics: Theories of International Trade: Absolute Advantage, Comparative Advantage, Opportunity Cost, Heckscher-Ohlin; Offer Curve, Terms of Trade; Gains from Trade and their Distribution; Tariffs; Custom Union and Free Trade Area; Foreign Trade Multiplier; Working of Foreign Trade Multiplier; Balance of Trade; Balance of Payments and Adjustment Mechanism; Exchange Rate: Fixed and Flexible; Foreign Exchange Market: Theories of Exchange rate determination, Objectives of WTO, IMF, World Bank, ADB, SAARC, BRICS and G-20.

7. Econometrics: Meaning and Scope: Single linear equation regression model (by OLS Method); General Linear Regression Model (GLM).

8. Indian Economy: Sectoral Distribution of National Income; Trends in Population Growth and Demographic Changes; Poverty in India:- Measurement, Nature and Poverty Alleviation Programmes; Unemployment : Nature, Problems and Remedies;

Inequality in India; Recent Social Security measures; Economic Planning in India; NITI Aayog: Constitution, Role and Functions; Centre-State Financial Relations:- Recommendations of 15th Finance Commission**;** GST; EXIM Policy.
Role and Problems of Agriculture:- Share of agriculture in National Income and Workforce**;** Green Revolution; Land Reforms; Rural Credit, Indebtedness and NABARD**;** Agricultural Marketing**;** Agricultural Price Policy; Problems of Agricultural Labourers; Food Security and Climate Change.
Industrialization: MSMEs and Large Scale Industries; Role of Public and Private Sector**;** Foreign Capital, Foreign Direct Investment and MNCs**;** Industrial Policy; New Economic Policy**;** Recent schemes for the promotion of MSMEs.

9. Uttarakhand Economy: -Demographic Characteristics; Role of Agriculture, Industry and Service Sectors in State Economy; Natural Resources; Human Resources; Infrastructure**;** Economic Problems: Natural Disaster Management, Environmental Degradation**;** Migration: Causes, Impact and Remedies; Tourism: Problems and Prospects.

(3) अर्थशास्त्र/अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र/व्यावसायिक अर्थशास्त्र/अर्थमिति (इकोनोमेट्रिकस)

(लिखित प्रकृति-वस्तुनिष्ठ प्रकार)

समयः 3 घंटे **अधिकतम अंक : 200**

1. व्यष्टि अर्थशास्त्रः व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा; आर्थिक स्थैतिकी और आर्थिक प्रावैगिकी; अर्थशास्त्र की प्रकृति : आदर्शात्मक और वास्तविक; उपभोक्ता का व्यवहार और संतुलन, मांग का अर्थ, मांग का नियम और उपयोगिता विश्लेषण; उदासीनता वक्र विश्लेषण; प्रतिस्थापन की सीमांत दर (एमआरएस), बजट रेखा; प्रकट अधिमान दृष्टिकोण; मांग की लोच : लोच के प्रकार, लोच को प्रभावित करने वाले कारक; कीमत प्रभाव : आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव; गिफिन वस्तुएं, निम्न वस्तुएं; उपभोक्ता का अधिशेष; उत्पादन फलन : परिवर्तनशील अनुपात का नियम और पैमाने के प्रतिफल का नियम; पैमाने की बचतें; तकनीकी प्रतिस्थापन की दर (आरटीएस), सम–उत्पाद वक्र, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमान्त दर (एमआरटीएस), सम–लागत रेखा, लागत और आगम फलन, सीमांत आगम (एमआर) और कीमत के बीच संबंध, कुल आगम (टीआर) से औसत आगम (एआर) और सीमांत आगम (एमआर) की व्युत्पत्ति; औसत लागत (एसी), सीमांत लागत (एमसी) और कुल लागत (टीसी) के बीच संबंध; बाजार के विभिन्न रूपों के अन्तर्गत कीमत निर्धारण : पूर्ण प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता, द्वियाधिकार, अल्पाधिकार; उत्पादन के साधनों का कीमत निर्धारण; वितरण सिद्धांत : लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ; पेरेटियन कल्याण अर्थशास्त्र।

2. समष्टि अर्थशास्त्र : राष्ट्रीय आय : अर्थ, अवधारणाएँ, माप और सीमाएँ; राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह; राष्ट्रीय आय मापन की विधियाँ; राष्ट्रीय आय और रोजगार : प्रतिष्ठित (क्लासिकल) सिद्धान्त, केन्जियन सिद्धान्त और नवप्रतिष्ठित (नव–क्लासिकल) सिद्धान्त; उपभोग फलन – उपभोग प्रवृत्ति और बचत प्रवृत्ति; निवेश फलन – निर्धारक, पूंजी की सीमांत दक्षता और गुणक सिद्धांत; व्यापार चक्र : कॉलडोर और हिक्स; वितरण के समष्टि सिद्धांत : प्रतिष्ठित और कॉलडोर; सामान्य संतुलन विश्लेषण; फिलिप्स वक्र और विवेकपूर्ण प्रत्याशायें सिद्धान्त।

3. आर्थिक वृद्धि एवं विकास : अर्थ; वृद्धि और विकास के बीच अंतर; विकास का मापन : मानव विकास सूचकांक (एचडीआई), लिंग विकास सूचकांक (जीडीआई), लिंग असमानता सूचकांक (जीआईआई), बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई); प्रसन्नता सूचकांक; विकास मॉडल : हैरोड और डोमर, रोस्टोव, श्रम की असीमित आपूर्ति; आगत–निर्गत (इनपुट–आउटपुट) विश्लेषण; वैश्वीकरण और एलडीसी; सतत विकास लक्ष्य; COP26 के लक्ष्य।

4. मुद्रा, बैंकिंग और सार्वजनिक वित्त : मुद्रा का अर्थ, अवधारणाएं और कार्य; मुद्रा आपूर्ति के माप; मुद्रा के सिद्धांत : फिशर, कैम्ब्रिज, केन्जियन, मिल्टन फ्रीडमैन; सेंट्रल बैंक के कार्य; साख नियंत्रण; वाणिज्यिक बैंकों का अर्थ और कार्य; साख निर्माण; मुद्रास्फीति– प्रकार, कारण, प्रभाव और नियंत्रण; मुद्रा की मांग और तरलता अधिमान सिद्धांत; मौद्रिक नीति : अर्थ और उद्देश्य।

5. सार्वजनिक वित्त : सार्वजनिक व्यय : सिद्धांत, वर्गीकरण और प्रभाव; कराधान : कराधान के सिद्धांत, करों का वर्गीकरण, करापात, कराघात और करविवर्तन, करविवर्तन के सिद्धांत, करदान क्षमता; अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, सार्वजनिक राजस्व के स्रोत; सार्वजनिक ऋण– स्रोत, प्रभाव, भार और प्रबंधन। राजकोषीय नीति : अर्थ और उद्देश्य।

6. जनांकिकी : जनांकिकीय संक्रमण का सिद्धांत; माल्थूस का सिद्धांत; उर्वरता : अवधारणाएँ, माप और कारक; मृत्यु दर; जनसंख्या पिरामिड; जनांकिकीय लाभांश; जनसंख्या वृद्धि दर; जनांकिकीय समंकों के स्रोत; जनसंख्या और आर्थिक विकास : प्रवास और शहरीकरण।

7. अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र : अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत : निरपेक्ष लाभ, तुलनात्मक लाभ, अवसर लागत, हेक्शर–ओहलिन; प्रस्ताव वक्र, व्यापार की शर्तें; व्यापार से लाभ और उनका वितरण; टैरिफ; कस्टम यूनियन और मुक्त व्यापार क्षेत्र; विदेश व्यापार गुणक; विदेश व्यापार गुणक का कार्य; व्यापार संतुलन; भुगतान संतुलन और समायोजन तंत्र; विनिमय दर : स्थिर और लचीली; विदेशी विनिमय बाजार : विनिमय दर निर्धारण के सिद्धांत, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, विश्व बैंक, एडीबी, सार्क, ब्रिक्स और जी–20 के उद्देश्य।

8. अर्थमिति (एकॉनोमैट्रिक्स) : अर्थ और क्षेत्र : एकल रेखीय समीकरण प्रतिपगमन मॉडल (ओएलएस विधि द्वारा); सामान्य रैखिक प्रतिपगमन मॉडल (जीएलएम)।

9. भारतीय अर्थव्यवस्था : राष्ट्रीय आय की संरचना; जनसंख्या वृद्धि और जनांकिकीय परिवर्तन में प्रवृत्ति; भारत में गरीबी : मापन, प्रकृति और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम; बेरोजगारी : प्रकृति, समस्याएँ एवं उपाय; भारत में असमानता; वर्तमान सामाजिक सुरक्षा उपाय; भारत में आर्थिक नियोजन; नीति आयोग : गठन, भूमिका और कार्य; केंद्र–राज्य वित्तीय संबंध : 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें; जीएसटी; एक्जिम नीति।

कृषि की भूमिका एवं समस्याएँ : राष्ट्रीय आय एवं कार्यबल में कृषि का योगदान; हरित क्रांति; भूमि सुधार; ग्रामीण ऋण, ऋणग्रस्तता और नाबार्ड; कृषि विपणन; कृषि मूल्य नीति; खेतिहर मजदूरों की समस्याएँ; खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन।

औद्योगीकरण : एमएसएमई और वृहद उद्योग; सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की भूमिका; विदेशी पूंजी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ; औद्योगिक नीति; नई आर्थिक नीति; एमएसएमई को प्रोत्साहन देने हेतु वर्तमान योजनाएं।

10. उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था : जनांकिकीय विशेषताएं; राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों की भूमिका; प्राकृतिक संसाधन; मानव संसाधन; आधारभूत संरचना; आर्थिक समस्याएँ : प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, पर्यावरणीय ह्रास; प्रवास : कारण, प्रभाव और निदान; पर्यटन : समस्याएँ और संभावनाएँ।

(04) COMMERCE

(Written Nature-Objective Type)

Time: 3 hours **MM 200**

1- <u>Financial and Management Accounting</u>

Accounting Concepts and Conventions, Accounting Standards, Capital & Revenue, Methods of Charging Depreciation, Financial Statements-Trading Account, Manufacturing Account, Profit and Loss Account, Balance Sheet. Corporate Accounts- Issue of shares, forfeiture of shares and reissue of forfeited shares. Issue and Redemption of Debentures, Liquidation of Companies, Valuation of Goodwill and Shares, Accounting for Amalgamation of Companies (as per AS 14), Bonus Shares vs. Right Issues.

Management Accounting- Ratio Analysis, Marginal Costing, Break-even Analysis, Standard Costing, Budgetary Control, Zero-base Budgeting and Performance Budgeting, Funds Flow Statement, Cash Flow Statement, Responsibility Accounting.

2- <u>Banking and Financial Institutions</u>

Central banking in India, Methods of Credit Control by RBI, Commercial Banks, Banking Sector Reforms in India, NPA, Capital Adequacy Norms, Latest trends in E-Banking, Digital Currency, Payment Banks and UPI Payments. De-monetisation

and Banking Industry in India, Development Banks in India, SEBI and its role as regulator, NBFCs in India, Capital and Money Market and their instruments, Stock Exchanges in India.

3- Business Management and Communication

Functions of Management- Planning, Organising, Staffing, Directing and Controlling, Decision Making Process, Theories of Motivation, Leadership Styles, Theories of Leadership, Management by Objectives, Management by Exception.

Communication- Concept, Body Language, Verbal & Non-verbal Communication, e-mail, Presentation, Interview, Meetings, Seminars, Parts of a Letter, Essentials of an Ideal Letter, Circulars, Office Memorandum and Report Writing.

Corporate Social Responsibility.

4- Marketing Management

Marketing- Concept, Direct Marketing, Ps of Marketing, Market Segmentation, Product Life Cycle, Branding and Advertisement, SWOT Analysis and Pricing Strategies, E-Marketing and Green Marketing.

5-Auditing

Standards of Auditing, Internal Control, Audit Sampling and Test Checking, Routine Checking, Vouchers and Vouching, Internal Check and Internal Audit, Verification and Valuation of Assets & Liabilities, Auditor's Report on Profit & Loss Account and Balance Sheet, Qualifications and Appointment of Company Auditors, their powers, duties and liabilities as per Companies Act 2013, Managerial Remuneration. Cost Audit and Management Audit.

6- Managerial Economics

Fundamental Economic Concepts, Law of Diminishing Marginal Utility, Demand Forecasting, Market Forces: Demand and Supply, Price Determination in Various Competition- Perfect Competition, Monopoly, Monopolistic and Oligopoly, Price Discrimination, Phases of Business Cycle, Inflation, Monetary and Fiscal Policy.

7- International Business

Growing Relevance of International Business, Balance of Trade and Balance of Payment, International Advertisement, Bi-lateral Trade, Ethical Issues in International Business, Liberalisation, Privatisation and Globalisation (LPG), Information Technology and International Business, Export Promotion Techniques and Incentives, Foreign Direct Investment (FDI), International Economic Institutions- IMF, World Bank, WTO, NAFTA, EU. FEMA, EXIM Policy, International Financial Instruments.

8- <u>Business Statistics and Data Processing</u>

Types of Data- Primary and Secondary, Questionnaire and Scales-Types, Preparation and Standardization, Data Collection and Analysis, Interpretation of Data. Measurement of Central Tendency, Dispersion and Skewness, Correlation and Regression, Index Number, Analysis of Time Series, Interpolation and Extrapolation, Theoretical Distribution- Normal Distribution. Sampling- Design and Methods of Sampling. Elementary Theory of testing a Hypothesis, t-test, F-test (ANOVA), Z-test and Chi-square test.

Data Processing- Its need, Elements, Data Entry, Data Processing and Computer Applications.

(04) वाणिज्य

समय – 3 घण्टे **अधिकतम अंक – 200**

1. वित्तीय और प्रबंधन लेखांकन

लेखांकन की अवधारणाएं और प्रथाएं, लेखांकन प्रमाप, पूंजी एवं आय ह्रास लगाने की विधियां, वित्तीय विवरण– व्यापार खाता, विनिर्माण खाता, लाभ–हानि खाता, आर्थिक चिट्टा, निगमीय खाते– अंशों के निर्गमन अंशों के हरण और हरण किये गये अंशों का पुनः निर्गमन, ऋणपत्रों का निर्गमन एवं शोधन, कम्पनियों का समापन, ख्याति और अंशों का मूल्यांकन, कम्पनियों का एकीकरण का लेखांकन (AS-14 के अनुसार), बोनस अंश बनाम अधिकार निर्गमन।

प्रबन्धकीय लेखांकन– अनुपात विश्लेषण, सीमान्त लागत, सम–विच्छेद विश्लेषण, प्रमाप लागत, बजटरी नियन्त्रण, शून्य आधारित बजटिंग और निष्पादन बजटिंग, फण्ड प्रवाह विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण, उत्तरदायित्व लेखांकन।

2. बैंकिग और वित्तीय संस्थाएं

भारत में केन्द्रीय बैंकिग, आर0बी0आई0 की साख नियन्त्रण विधियां, वाणिज्यिक बैंक, भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, गैर–निष्पादित सम्पतियां, पूंजी पर्याप्तता नियम, ई–बैंकिंग में नवीनतम प्रवृतियां, डिजिटल मुद्रा, पेमैन्ट्स बैंक और यूपीआई भुगतान, भारत में विमुद्रीकरण एवं बैंकिंग उद्योग, भारत में विकास बैंक, सेबी एवं नियामक के रूप में इसकी भूमिका, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां, पूंजी और मुद्रा बाजार एवं इनके उपकरण, भारत में स्कन्ध–विनिमय।

3. व्यवसाय प्रबन्धन और सम्प्रेषण

प्रबन्धन के कार्य– नियोजन, संगठन, स्टाफिंग, निर्देशन एवं नियंत्रण, निर्णयन प्रक्रिया, अभिप्रेरणा की विचाराधारायें, नेतृत्व शैलियां, नेतृत्व की विचारधारायें, उद्देश्यों द्वारा प्रबन्धन, अपवाद द्वारा प्रबन्धन।

सम्प्रेषण– अवधारणा, शारीरिक भाषा, मौखिक और गैर–मौखिक सम्प्रेषण, ई–मेल, प्रस्तुति, साक्षात्कार, सभाएं, सेमिनार, पत्र के भाग, एक आदर्श पत्र की अनिवार्यताएं, परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन और रिपोर्ट लेखन, निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व।

4. विपणन प्रबन्धन

विपणन– अवधारणा, प्रत्यक्ष विपणन, विपणन के Ps, बाजार विभक्तीकरण, उत्पाद जीवन चक्र, ब्राण्डिंग एवं विज्ञापन, स्वॉट (SWOT) विश्लेषण एवं मूल्य व्यूह रचना, ई–विपणन और हरित विपणन।

5. अंकेक्षण

अंकेक्षण के प्रमाप, आन्तरिक नियन्त्रण, अंकेक्षण प्रतिचयन एवं परीक्षण जांच, नैत्यक जांच, प्रमाणक एवं प्रमाणन, आन्तरिक निरीक्षण और आन्तरिक अंकेक्षण, सम्पत्तियों और देनदारियों का सत्यापन एवं मूल्यांकन, लाभ एवं हानि खाते और आर्थिक चिट्ठा पर अंकेक्षण की रिपोर्ट, कंपनी अंकेक्षण की योग्यतायें एवं नियुक्ति, इनकी शाक्तियाँ, कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार इनके कर्तव्य एवं दायित्व, प्रबंधकीय पारिश्रमिक, लागत अंकेक्षण एवं प्रबंध अंकेक्षण।

6. प्रबंधकीय अर्थशास्त्र

मूल आर्थिक अवधारणाएँ, सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम, मांग पूर्वानुमान, बाजार की शक्तियांः मांग और आपूर्ति, विभिन्न प्रतिस्पर्धा में मूल्य निर्धारण–पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता और अल्पाधिकार, मूल्य विभेद, व्यापार चक्र के आयाम, मुद्रास्फीति, मौद्रिक और राजकोषीय नीति।

7. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार :–

अन्तर्राष्टीय व्यापार की बढ़ती प्रांसगिकता, व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन, अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञापन, द्वि-पक्षीय व्यापार, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में नैतिक मुद्दे, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एल.पी.जी), सूचना प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निर्यात संवर्धन तकनीक व प्रोत्साहन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई), अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान–आई.एम.एफ, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, नाफ्टा, ई.यू., फेमा (एफ.ई.एम.ए), आयात–निर्यात नीति, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय उपकरण।

8. व्यावसायिक सांख्यिकी और संमक प्रसंस्करण :–

समंकों के प्रकार–प्राथमिक और द्वितीयक, प्रश्नावली और पैमाने– प्रकार, तैयारी और मानकीकरण, समंकों का संग्रहण एवं विश्लेषण, समंकों का निर्वचन, केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप, अपकिरण एवं विषमता, सहसम्बन्ध एवं प्रतीपगमन, निर्देशांक, कालश्रेणी का विश्लेषण, आन्तरगणन एवं वाह्यगणन, सैद्धान्तिक वितरण–सामान्य वितरण। प्रतिचयन संरचना एवं प्रतिचयन विधियां।

परिकल्पना के परीक्षण का प्राथमिक सिद्धांत, टी–परीक्षण, एफ–परीक्षण (एनोवा), जेड–परीक्षण और काई–स्क्वायर परीक्षण। संमक प्रसंस्करण–इसकी आवश्यकता, तत्व, समंक प्रविष्टि, संमक प्रसंस्करण और कम्प्यूटर अनुप्रयोग।

(05) DATA SCIENCE

(Written Nature-Objective Type)

Time: 3 hours **MM: 200**

Introduction to Data Science

Data Science, types of data, skill required for data science, personnel involved with data science, Data Science Process (DSP), Big data vs. Data Science, Big Data Analytics in Vertical Industry, Big Data Frameworks, Big Data Applications, Tools and Technologies.

Exploratory Data Analysis

Primary and secondary data, classification and presentation of data, diagrammatic and graphical representation of data, Frequency distribution. Measures of location and dispersion, skewness and kurtosis. Bivariate and multivariate data. Principle of least squares and curve fitting. Linear regression and fitting of regression lines by method of least squares, Regression coefficients and their properties; Concept of correlation, Karl Pearson and Rank correlation coefficients, partial and multiple correlation. Rank correlation. Association in contingency tables.

Sampling, sampling from a population, estimation of parameters and sampling distributions of statistics, confidence intervals, testing of hypothesis.

Z, t, Chi-Square & F-test, interval estimation. Basic principles of designs of experiments and ANOVA; One and two factor ANOVA, factorials experiments.

Data Mining

Data pre-processing: Introduction to data pre-processing, data cleaning, data integration, data reduction, data transformation and data discretionary. Data warehouse: Basic concepts, data warehouse modelling: data cube and OLAP, data warehouse design and usage, data warehouse implementation. Mining frequent patterns, associations, and correlations: Concepts, frequent item set mining methods, interesting patterns, pattern evaluation methods.

Data Visualization

Purpose, scope, communication style, quantitative relationships, differing roles of tables and graphs. Exploring the visual data spectrum: charting primitives (data points, line charts, bar charts, pie charts, area charts), exploring advanced visualizations (candlestick charts, bubble charts, surface charts, map charts, infographics).

Big Data Analytics

Characteristics of big data and dimensions of scalability, getting value out of big data, foundations for big data systems and programming. Near-neighbour search, shingling, similarity preserving summary, locality sensitive functions, distance measures, locality sensitive hashing and its applications to different distance measures, applications of locality sensitive hashing. Big Data Analytics Tools: Hadoop, Spark and Google Colaboratory.

Generative models for discrete data

The Dirichlet multinomial model – likelihood, prior, posterior, posterior predictive; Naive Bayes classifiers - model fitting, using the model for prediction, the log-sum-exp trick, feature selection using mutual information, classifying documents using bag of words.

Clustering

Introduction to clustering, mixture densities, k-means clustering, supervised learning after clustering, hierarchical clustering, choosing the number of clusters.

Machine Learning

Introduction to machine learning, types of machine learning, Nearest neighbour methods, Validation: Nearest neighbour prediction, k-nearest neighbour methods, weighted neighbour methods, Curse of dimensionality, Linear Classification, characterizing a linear classifier, training a linear classifier, logistic regression.

Decision trees: predictor form, training decision trees, decision tree classifiers, univariate trees – classification trees, regression trees, pruning, ruleextraction from trees, learning rules from data.

Design and Analysis of Machine Learning Experiments

Factors, response, and strategy of experimentation, randomization, replication, and blocking, guidelines for machine learning experiments, cross-validation and re-sampling methods, k-fold cross-validation, 5*2 cross-validation, Measuring classifier performance, Assessing a classification algorithm's performance - binomial test, approximate normal test, comparison over multiple datasets– comparing two algorithms, multiple algorithms.

Deep Learning

The neural network – building intelligent machines, the limits of traditional computer programs, the mechanics of machine learning, the neuron, expressing linear perceptrons as neurons, feed-forward neural networks, linear neurons and their limitations. Training feed-forward neural networks – gradient descent, the back propagation algorithm.

Neurons in human vision, the shortcomings of feature selection, filters and feature maps, Deep reinforcement learning, Markov Decision Processes (MDP), explore versus exploit, policy versus value learning.

Basic Knowledge of Computer Operation Practical Examination Ability Test (Qualifying Nature)

Time Allowed: One hours **M.M.: 100**

Microsoft Windows Operating system and Microsoft Office (Maximum Marks – 100; Minimum Qualifying Marks to be obtained – 40; Time allowed: One Hour)

The paper shall be set from the given syllabus broadly taking one question from each i.e. - (1) Windows and internet (2) M.S. - Word (3) M.S. - Access (4) M.S. - Excel and (5) M.S. - Power Point.

Note -1- Each question shall have one action to be performed on the system each having 20 marks.

Note -2 - Printout of the output shall be taken and given for evaluation.

Note- 3 - उक्त परीक्षा अर्हकारी प्रकृति (Qualifying Nature) की होगी, जिसमें न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उक्त परीक्षा में प्राप्त अंकों को अन्तिम चयन परिणाम में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्रों के प्रपत्र।

प्रमाण–पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .....
..सुपुत्र / पत्नी / सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम .....
....तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तराखण्ड की .....
.....जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री / श्रीमती / कुमारी .....तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ..... तहसील .....नगर .....
..जिला ..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान : **हस्ताक्षर .....**

दिनांक : **पूरा नाम .....**

मुहर : **पदनाम .....**

जिलाधिकारी / अपर जिला मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट / उप जिला मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट–04 "ख"

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण–पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम .... तहसील .....नगर ..... जिला ..... उत्तराखण्ड के राज्य की ..... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची–2 से अधिसूचना संख्या–22/16/92–का–2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम .....तहसील ..... नगर ..... जिला .....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर .....

पूरा नाम .....

पदनाम .....

मुहर .....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार /जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट–04 "ग"

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम व पता)

(अधिसूचना संख्याः–64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च, 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या..... वर्ष..... हेतु मान्य दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी..... पुत्र / पत्नी / पुत्री.....ग्राम / मुहल्ला.....पोस्ट ऑफिस..... जिला..... पिन कोड.....उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी / स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है। इनके परिवार की सभी स्त्रोतों से वित्तीय वर्ष.....की औसत आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक रू0 8.00 लाख (रूपये आठ लाख) से कम है और इनका परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता हैः–

I. कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या
II. आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या
III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या
IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री / श्रीमती / कुमारी.....जो कि..... जाति से हैं और भारत सरकार / उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर
नाम.....
पदनाम.....

आवेदक की नवीनतम पासपोर्ट साइज का प्रमाणित फोटो

परिशिष्ट–04 "घ"

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र

शासनादेश संख्या– 4/23/1982–2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....

..सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री ..... निवासी ग्राम .....

....तहसील ..... नगर ..... जिला .....

.....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) .....

..... पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) उपयंकित अधिनियम,1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर .....

पूरा नाम.....
पदनाम .....

मुहर .....

जिलाधिकारी .....
(सील) .....

परिशिष्ट–04

दिव्यांगजन प्रमाण–पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या – .....

तारीख .....

निःशक्तता प्रमाण – पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 .....सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री .....आयु..... लिंग..... पहचान चिन्ह..... .....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(i) दोनों टांगे (बी एल) – दोनां पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगे और बांहें (बी एल ए) – दोनों टॉगें और दोनों बाहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्लू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –

(i) बी – अंधता

(ii) एल वी0/पी बी – कम दृष्टि/ आंशिक दृष्टिहीन

ग. कम सुनाई देना

(i) डी–बधिर

(ii) पी डी – ऑशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। .....वर्षों ..... महीनों की अवधि के पश्चात पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। *

3. उनके मामले में निशक्तता का प्रतिशत ..... है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:–

(i) एफ–अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/नहीं

(ii) पी पी–धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती है । हाँ/नहीं

(iii) एल–उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।
हाँ/नहीं

(iv) के सी–घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं
हाँ/नहीं

(v) बी–झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

(vi) एस–बैठ कर कार्य कर सकते /सकती हैं। हाँ/नहीं

(vii) एस टी–खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं।
हॉ/नहीं

(viii) डब्लू–चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं।
हाँ/नहीं

(ix) एस ई–देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं।
हाँ/नहीं

(x) एच–सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।
हाँ/नहीं

(xi) आर डब्लू–पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।
हाँ/नहीं

(डा0.....)	(डा0.....)	(डा0.....
.)		
सदस्य	सदस्य	सदस्य
चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड	
चिकित्सा बोर्ड		

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।

परिशिष्ट–5

अन्वेषक कम संगणक/सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा–2023

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली–2022 में निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम अर्हक अंक प्रवीणता सूची (MERIT) के लिए अनिवार्य हैः–

क्र0सं0	आरक्षण की श्रेणी	अंतिम चयन हेतु न्यूनतम् अर्हक अंक प्रतिशत में।
1.	अनारक्षित	**45%**
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग	**40%**
3.	अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति	**35%**
4.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	**40%**

नोट :: अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही प्रवीणता–सूची हेतु विचारित किया जायेगा।

परिशिष्ट–06

अन्वेषक कम संगणक/सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा–2023

Check List

अनुक्रमांक–
आवेदित पद–

क्र0 सं0	प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का विवरण	संलग्न है अथवा नहीं
01	ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति।	
02	विस्तृत आवेदन पत्र **(प्रपत्र संख्या–02)** अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
03	प्रमाणीकरण प्रपत्र **(प्रपत्र संख्या–03)** अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
04	देशना प्रत्रक **(प्रपत्र संख्या–04)** अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
05	हाईस्कूल प्रमाण–पत्र	
06	हाईस्कूल अंकतालिका,	
07	इण्टरमीडिएट प्रमाण–पत्र	
08	इण्टरमीडिएट अंकतालिका,	
09	स्नातक उपाधि*	
10	स्नातक अंतिम वर्ष/सेमेस्टर की अंकतालिका	
11	परास्नातक उपाधि*	
12	परास्नातक अंतिम वर्ष/सेमेस्टर की अंकतालिका	
13	कम्प्यूटर में ''ओ'' लेवल का डिप्लोमा	
14	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर अनुप्रयोग में कम से कम 01 वर्ष का डिप्लोमा।	
15	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर में ''सी0सी0सी0'' प्रमाणपत्र	
16	अधिमानी अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण–पत्र। (यदि लागू हो)। **(क)** प्रादेशिक सेना में कम से कम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। **(ख)** एन0सी0सी0 ''बी'' अथवा ''सी'' प्रमाणपत्र **(ग)** भारतीय सांख्यिकी संस्थान (इन्डियन स्टेटिस्टिकल इन्स्टीट्यूट) से सांख्यिकी में प्रमाण–पत्र भाग–1 या उसके समकक्ष कोई अन्य डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र (सर्टिफिकेट) धारक को। **(घ)** सांख्यिकी के साथ एम0ए0/एम0एस0सी0 या समकक्ष अर्हता या औद्योनिक फसलों आकडों का संकलन और विश्लेषण का अनुभव **(ड़)** ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा, जो एम0 कॉम0, अर्थशास्त्र में एम0 ए0 हो, जिसका एक प्रश्न पत्र सहकारिता का रहा हो, एम0एस0सी0(कृषि), एम0एस0सी0 हो, जिसके पास बी0एन0मेहता इन्स्टीट्यूट ऑफ को–आपरेटिव मैनेजमेन्ट, पूना से सहकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हो। **(च)** राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो।	
17	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लम्बवत् आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र। (एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0/ई0डब्लू0एस0)** (यदि लागू हो)	
18	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र। (उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक/उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे/दिव्यांगता प्रमाण पत्र) (यदि लागू हो)	
19	स्थायी निवास प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)	
20	पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किये जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का	

क्र0 सं0	प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का विवरण	संलग्न है अथवा नहीं
	शपथपत्र (Affidavit) अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें, कि उनके द्वारा पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए है।	
21	जिन पूर्व सैनिकों द्वारा विज्ञप्ति संख्या A-1/E-1/DR(ASO)/2023, दिनांकः .....**जनवरी, 2024** के सापेक्ष आयु सीमा में छूट का लाभ लिया है वे आवेदित पद के संबंधित ग्रेड–पे.. ..... से न्यून में कार्यरत रहने संबंधी साक्ष्य के रूप में उनकी अद्यतन वेतन पर्ची (Salary Slip) अथवा संबंधी संस्था/विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ग्रेड–पे संबंधी उल्लेख के प्रमाण–पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।	
22	यदि अभ्यर्थी किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो, सेवानियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र की प्रति।	
23	यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में।	
24	पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमणित फोटोग्राफ एवं एक फोटोयुक्त आई0डी0।	
25	उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित 41/उ0अ0से0च0आ0/2021, दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति। (यदि लागू हो)	
26	विज्ञापन के बिन्दु सं0–05 में अनिवार्य/वांछनीय अर्हता (समूह ग पद हेतु) के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित वांछित अर्हता (Required Eligibility) के अंतर्गत (Yes) चयनित किये गये निम्न बिन्दु/बिन्दुओं में से किसी एक के समर्थन में पुष्ट प्रमाण–पत्र/अभिलेख–	
	1.Is Your name registered in any District Employment Office located in Uttarakhand State? अथवा	
	2. Are You Employed? अथवा	
	3. Have You passed your High School and Intermediate or any other equivalent exams from and recognized institution situated in the State of Uttarakhand? अथवा	
	4.(i) Are you or your spouse or your parents regular employees of the Armed Forces/Paramilitary Forces serving in the state or Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा	
	4.(ii) Are you or your spouse or your parents regular employees of the State Government/Semi Government organisation serving on a regular basis in the state of Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा	
	4.(iii) Are you or your spouse or your parents regular employees of the Central Government organisation/Central Government Public service undertaking and are working regularly on the state of Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा	
	5.(i) Are you permanent resident of Uttarakhand but residing outside Uttarakhand for livelihood/education purpose? अथवा	
	5.(ii) Is your spouse or your parents permanent residents of Uttarakhand but are residing outside Uttarakhand for livelihood/education purpose?	

* यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक–तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण–पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक–तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण–पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण–पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण–पत्र के स्थान पर जमा करना होगा।

** एस0सी0 / एस0टी0 / ओ0बी0सी0 / ई0डब्लू0एस0 आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण–पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए। शासनादेश संख्या–310 दिनांक 26.10.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 प्रमाण–पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक ही है। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओ हेतु जारी हों।

*** ई0डब्लू0एस0 प्रमाण–पत्र वित्तीय वर्ष 2022–2023 की आय गणना के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु निर्गत हुआ होना चाहिए।

नोट–अभ्यर्थी उक्तानुसार चैकलिस्ट सहित चैकलिस्ट में उल्लिखित समस्त अभिलेखों की छायाप्रति के 02 स्वप्रमाणित सेट पूर्णरूप से भरते हुए तैयार करेंगें एवं अभिलेख सत्यापन (Document verification) के समय आयोग में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....

अभ्यर्थी का नाम.....

परिशिष्ट–07

शासनादेश संख्या : 374(1)/XXX(2)/2019–30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्वांत :–

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में Benchmark विकलांगता धारित अभ्यर्थी जो Blindness (अंधता), locomoter disability (Both arm affected-BA) (चलन क्रिया (दोनों हाथ प्रभावित)) तथा cerebral palsy (मस्तिष्क घात) से ग्रस्त हैं तथा इसके अतिरिक्त वे समस्त अभ्यर्थी, जो देश के किसी भी क्षेत्र में अवस्थित सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी/शल्य चिकित्सक/चिकित्सा अधीक्षक) द्वारा निर्गत **परिशिष्ट–7(1)** प्रारूप में प्रमाण पत्र धारित करते हैं, को श्रुतलेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त का दावा अपने ऑनलाइन आवेदनपत्र में करना होगा। परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट–7(1)** की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट–7(2)** की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

2. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि श्रुतलेखक की सुविधा आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जानी है अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं श्रुतलेखक को लाने का दावा किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट–1 की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट–7(2)** की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

3. यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट–7(1)** प्रमाणपत्र की प्रति आयोग कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा तथा अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार होगा।

4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी किंतु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किंतु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।

5. दिव्यांग अभ्यर्थी की परीक्षा (प्रारंभिक/स्क्रीनिंग/लिखित) आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप पर नहीं ली जाएगी और न ही प्रश्नपत्र के प्रारूप में किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा।

6. कम्प्यूटर आधारित परीक्षाओं हेतु विकलांगता धारित अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि से एक दिन पूर्व कम्प्यूटर सिस्टम के निरीक्षण की सुविधा दी जाएगी। आयोग द्वारा अभ्यर्थी को कम्प्यूटर परीक्षा हेतु स्वयं का केवल की–बोर्ड तथा माउस लाने की अनुमति दी जाएगी।

7. श्रुतलेखक की सुविधायुक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो कि 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।

8. जिन परीक्षाओं में केलकुलेटर की सुविधा अनुमन्य होगी उन परीक्षाओं हेतु दिव्यांग अभ्यर्थियों को talking calculator की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी के मध्य संचार हेतु उपयोग में लाई जाने वाले उपकरण जैसे (trailor frame, Braille slate, abascus, geometry kit, communication devices etc.) भी परीक्षा हेतु अनुमन्य होंगे ;उपरोक्त सभी उपकरण अभ्यर्थी द्वारा स्वयं लाये जायेंगे)।

9. दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दशा में भू–तल के निर्धारित परीक्षा–कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

सचिव

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs …….. (name of the candidate with disability), a person with …….. (nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o …….., a resident of …….. (Village/District/State) and to state that he/she has physical limition which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government Health care institution

(Name & Designation)

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal:

Place:

Date:

Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (eg. Visual impairment- Ophthalmologist, Locomotor disability Orthopedic specialist/PMR)

परिशिष्ट–07 (2)

Letter of Undertaking for using own Scribe

I ……., a candidate with …….(name of the disability) appearing for the …….(name of the examination) bearing Roll No. ……. at …….(name of the centre) in the District ……. (name of the State). My qualification is …….

I do hereby state that ……. (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is ……. In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with disability)

Place:

Date:

परिशिष्ट–08

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(s) से आच्छादित किन्तु अधिनियम की धारा2(r) से अवमुक्त अर्थात 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें लिखने में कठिनाई है, को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने हेतु दिशा निर्देश

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में श्रुतलेखक एवं/या क्षतिपूर्ति समय की सुविधा लिखने में असमर्थ केवल ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रदान की जाएगी जिनके द्वारा **परिशिष्ट–8(1)** पर निर्धारित प्रारूप पर राजकीय चिकित्सालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा कि अभ्यर्थी लिखने में असमर्थ है तथा अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु श्रुतलेखक की आवश्यकता है।

2. श्रुतलेखक की अनुमन्यता के सबंध में प्रेषित किया जाने वाला **परिशिष्ट–8(1)** पर निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण–पत्र निम्नवत गठित बहु–सदस्यीय समिति द्वारा निर्गत किया जाना अनिवार्य है–

i. Chief Medical officer/Civil Surgeon/Chief District Medical Officer.....अध्यक्ष
ii. Orthopaedic/PMR specialist
iii. Neurologist (उपलब्धता के आधार पर)
iv. Clinical Psychologist/Rehabilitation Psychologist/ Psychiatrist/Special Educator
v. Occupational therapist. (उपलब्धता के आधार पर)
vi. समिति के अध्यक्ष द्वारा अभ्यर्थी की स्थिति के आधार पर नामित अन्य कोई सदस्य।

3. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी अथवा श्रुतलेखक आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक अभ्यर्थी को **परिशिष्ट–8(1)** प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में हरिद्वार होगा।

4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता सबंधित परीक्षा हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से एक स्तर कम होगी किन्तु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी।

स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था किये जाने पर अभ्यर्थी को परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक श्रुतलेखक की 02 आवक्ष फोटो एवं 01 पहचान–पत्र के साथ **परिशिष्ट–8(2)** प्रमाण–पत्र एवं **परिशिष्ट–8(1)** प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

5. अभ्यर्थी को अपरिहार्य परिस्थितियों में श्रुतलेखक को परिवर्तित किये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में पृथक–पृथक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किंन्तु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा मे अनुमन्य नहीं किया जाएगा।

6. अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत **परिशिष्ट–8(1)** प्रमाण–पत्र के बिन्दु संख्या–2 में अनुमोदित ऐसे सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति होगी, जिससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित नहीं होती हो।

7. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।

8. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा केन्द्र के भू–तल पर निर्धारित परीक्षा–कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिशिचित की जाएगी।

9. उक्त दिशा–निर्देश शासनादेश सख्या : 374(1)/XXX(2)/2019–30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में आयोग द्वारा अनुमोदित दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबधी मार्गदर्शिका सिद्धांत दिनांक 09 जून, 2020 से पृथक होगें।

सचिव

परिशिष्ट–08 (1)

Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

This is to certify that, we have examined Mr./Ms./Mrs.……………………………………..(name of the candidate), s/o /D/o ……………………………..a resident of ………………………………………………………………… ………… ………………………….. (Vill/PO/PS/District/State), aged……… yrs. a person …………(nature of disability/condition), and to state that he/she with has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe for writing the examination.

2. The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is/are essential for the candidate to appear at the examination with the assistance of scribe.

3. This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid unto ______ (it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the medical authority)

Signature of medical authority

(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)
Orthopedic/ PMR specialist	Clinical Psychologist/ Rehabilitation Psychologist/psychiatrist/ Special Educator	Neurologist (if available)	Occupational therapist (if available)	Other Expert, as nominated by the Chairperson (If any)
(Signature & Name)				
Chief Medical Officer/ Civil Surgeon/Chief District Medical Officer…………… Chairperson				

Name of Government Hospital/Health Care Centre with seal

Place:

Date:

परिशिष्ट–08 (2)

Letter of Undertaking by the person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing.

I_____, a candidate with_____(nature of disability/condition) appearing for the _____(name of the examination) bearing Roll No. _____at_____(name of the center) in the District _____,_____(name of the State). My educational qualification is _____.

2. I do hereby state that_____ (name of the scribe) will provide the service of scribe for the undersigned for taking the aforementioned examination.

3. I do hereby undertake that his qualification is_____. In case subsequently it is found that his qualifications is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification. I shall forfeit my right to the post or certificate/diploma/degree and claims relating thereto.

(Signature of the candidate)

(Counter signature by the parent/guardian, if the candidate is minor)

Place:

Date: